



न्यायालय- उपजिलाधिकारी

जनपद - लखनऊ, तहसील - मोहनलालगंज

कंप्यूटरीकृत संख्या :- T802025073919

आवेदक का नाम :- सिल्वर स्वान कन्स्ट्रक्शन्स द्वारा प्रोपराइटर स्वनय साहू

अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 01/12/2025

आदेश

प्रार्थी सिल्वर स्वान कन्स्ट्रक्शन्स कार्यालय शुभम सिनेमा बिल्डिंग कैंट रोड लखनऊ, प्रोपराइटर स्वनय साहू पुत्र श्री संजय कुमार साहू पता 2/30 विशाल खण्ड गोमतीनगर जिला लखनऊ उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 का संज्ञान लेकर प्रकरण की जांच तहसीलदार मोहनलालगंज जिला लखनऊ के माध्यम से करायी गयी।

तहसीलदार मोहनलालगंज जनपद लखनऊ की निर्धारित प्रारूप पर जांच आख्या पत्रावलित हुई। जिसमें यह पाया गया कि गाटा संख्या-1903 रकबा-0.0820हे. व गाटा संख्या-1877 रकबा-0.2110हे. मालगुजारी स्थित ग्राम गौरा परगना व तहसील मोहनलालगंज जनपद लखनऊ पर उपरोक्त प्रार्थी का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। प्रश्नगत भूमि पर कृषि कार्य से सम्बन्धित जैसे कृषि बागवानी, पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य संबर्द्धन तथा कुक्कुट पालन आदि कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, आस-पास आवासीय गतिविधिया विद्यमान है। फोटो ग्राफ्स संलग्न है। उक्त भूमि लखनऊ महानगर योजना के अन्तर्गत ग्राम की है अन्य किसी भी योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित नहीं है। अतः उक्त भूमि को धारा-80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किए जाने हेतु आख्या प्रेषित की गयी है।

तहसीलदार मोहनलालगंज लखनऊ की उक्त आख्या से संतुष्ट होने के पश्चात् वाद दर्ज रजिस्टर कर " राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-20.2024/402/एक-2024-1-1099/3514/2020-रा0-1 दिनांक 17.05.2024 के शासनादेश के बिन्दु संख्या-2 में उल्लिखित है कि धारा-80 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के संबंध में यह भी अवगत कराना है कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, नगर विकास विभाग तथा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग की अनापत्ति हेतु 30 दिन की समय सीमा निर्धारित की गयी है। यदि 30 दिन के भीतर आपत्ति प्राप्त नहीं



होती है तो इसे डीमड टू नो आब्जेक्शन मान कर निस्तारित कर दिया जाएगा" के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण को नियमानुसार नोटिस जारी की गयी। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

आवेदक द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में ग्राम गौरा की उद्धरण खतौनी वर्ष 1429 से 1434 फसली के खाता संख्या-00185 प्रति इसके अतिरिक्त नियमानुसार निर्धारित शुल्क/न्याय शुल्क आन लाईन जनरेट निर्धारित शुल्क-10891.00रू/-के सापेक्ष आनलाईन चालान संख्या आर0ए0जे0 250116273 शुल्क 10891.00रू./जमा किया गया।

मैने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों/साक्ष्यों एवं तहसीलदार की आख्या का सम्यक अवलोकन व परिशीलन किया। जिससे स्पष्ट है कि वर्तमान में प्रश्नगत भूमि पर कृषि से सम्बन्धित कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, ऐसी दशा में प्रश्नगत भूमि को कृषि बागवानी, पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य संबर्द्धन तथा कुक्कुट पालन नहीं हो रहा है को अकृषिक घोषित किए जाने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार मोहनलालगंज की आख्या दिनांक 10.11.2025 स्वीकार की जाती है। आवेदक सिल्वर स्वान कन्स्ट्रक्शन्स कार्यालय शुभम सिनेमा बिल्डिंग कैट रोड लखनऊ, प्रोपराईटर स्वनय साहू पुत्र श्री संजय कुमार साहू पता 2/30 विशाल खण्ड गोमतीनगर जिला लखनऊ उत्तर प्रदेश के आराजी मौजा ग्राम गौरा की खतौनी वर्ष 1429 से 1434 फसली में स्थित आराजी गाटा संख्या-1903 रकबा-0.0820हे. व गाटा संख्या-1877 रकबा-0.2110हे. को आराजी (भूमि) को उ0प्र0 राजस्व संहिता -2006 की धारा-80(2) में उल्लिखित शर्तों के अधीन उक्त भूमि का प्रयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिये किया जाता है। इस उपधारा के अधीन घोषणा, भू-उपयोग परिवर्तन की कोटि में नहीं होगी और उक्त भूमि निरन्तर कृषि भूमि के रूप में ही समझी जायेगी। तथापि भूमिधर ऐसी जोत या उसके आंशिक भाग, जिसके लिए इस उपधारा के अधीन घोषणा प्राप्त की गयी हो, पर प्रस्तावित गतिविधि अथवा परियोजना के ऋण और अन्य आवश्यक अनुज्ञाएं, समाशोधन आदि प्राप्त करने का हकदार होगा, यदि प्रस्तावित गाटों का कोई भी अंश भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में है, वह अंश इस आदेश से मुक्त रहेगा। तहसीलदार मोहनलालगंज की आख्या पारित आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। यह घोषणा केवल राजस्व की दृष्टि से की जा रही है, अन्य अधिनियमों एवं मास्टर प्लान पर उसका प्रभाव नहीं होगा। इस भूमि का प्रयोग एवं इस पर निर्माण लखनऊ विकास क्षेत्र महायोजना-2031 के अनुसार ही अनुमन्य होगा। यदि भविष्य में



उक्त भूमि पर कृषि, मत्स्य, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि से सम्बन्धित कार्य हेतु भूमि का उपयोग किया जाता है तो धारा-82 उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत तहसीलदार तत्काल अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्य यदि कभी भी संज्ञान में आने पर अविधिक एवं फर्जी पाये जाते हैं तो यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। अभिलेखों में अमल-दरामद हेतु आदेश की एक प्रति तहसीलदार मोहनलालगंज, लखनऊ को व एक प्रति उप निबन्धक, मोहनलालगंज को भेजी जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उपजिलाधिकारी
मोहनलालगंज लखनऊ

Digitally Signed by:
PAWAN PATEL
उपजिलाधिकारी

दिनांक समय: 01-12-2025 04:54:44 PM



न्यायालय- उपजिलाधिकारी

जनपद - लखनऊ, तहसील - मोहनलालगंज

कंप्यूटरीकृत संख्या :- T802025024865

आवेदक का नाम :- सिल्वर स्वान कन्स्ट्रक्शन द्वारा प्रोपराइटर स्वनय साहू

अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 28/05/2025

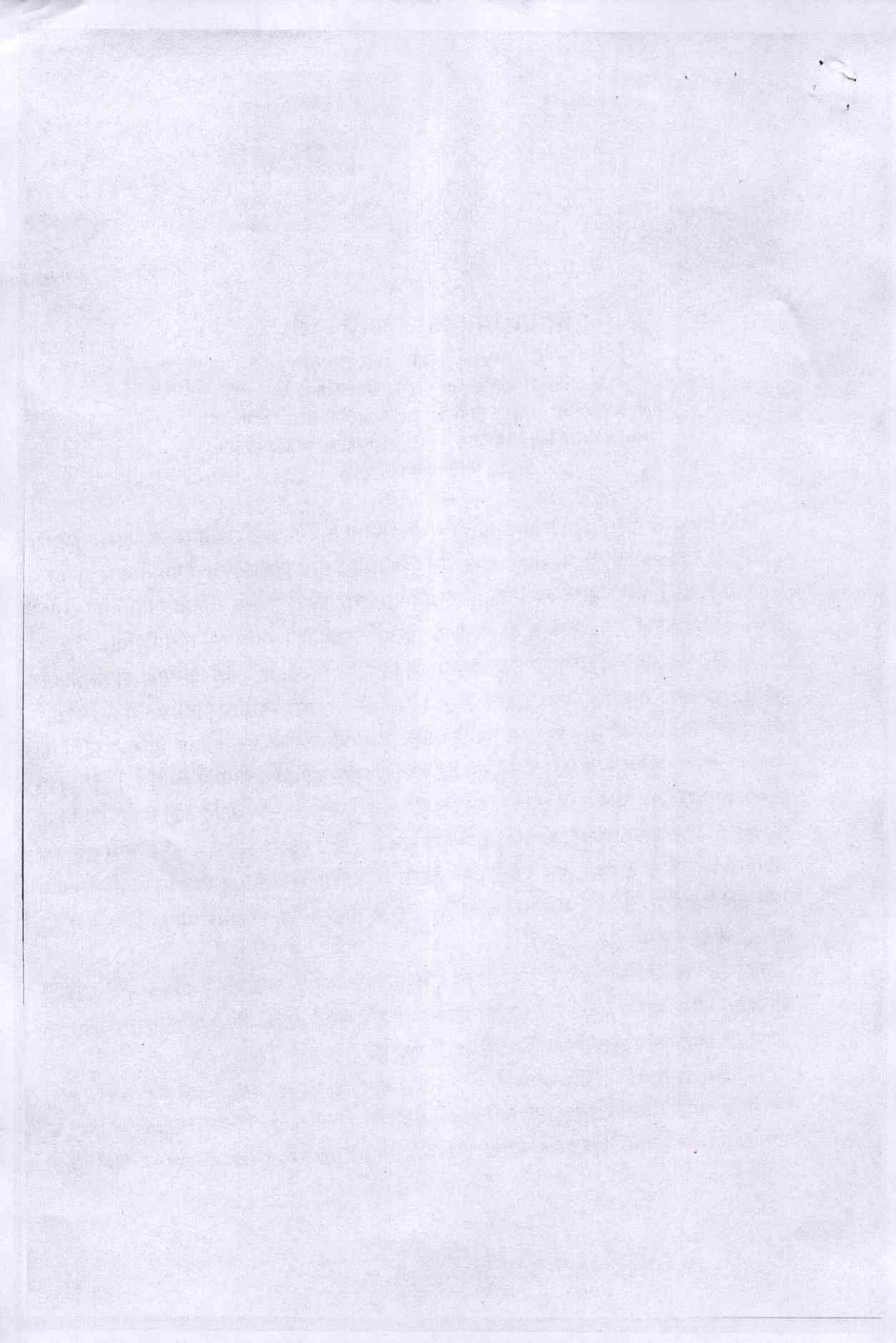
आदेश

प्रार्थी सिल्वर स्वान कन्स्ट्रक्शन्स कार्यालय शुभम सिनेमा बिल्डिंग कैंट रोड कैसरबाग लखनऊ द्वारा प्रोपराइटर स्वनय साहू पुत्र श्री संजय कुमार साहू निवासी 2/30 विशाल खण्ड गोमतीनगर लखनऊ उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 का संज्ञान लेकर प्रकरण की जांच तहसीलदार मोहनलालगंज जिला लखनऊ के माध्यम से करायी गयी।

तहसीलदार मोहनलालगंज जनपद लखनऊ की निर्धारित प्रारूप पर जांच आख्या पत्रावलित हुई। जिसमें यह पाया गया कि खाता संख्या-01261 पर अंकित गाटा संख्या-1900 रकबा-0.2910 हे. मालगुजारी स्थित ग्राम गौरा परगना व तहसील मोहनलालगंज जनपद लखनऊ पर उपरोक्त प्रार्थी का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। प्रश्नगत भूमि पर कृषि कार्य से सम्बन्धित जैसे कृषि बागवानी, पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य संबर्द्धन तथा कुक्कुट पालन आदि कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, आस-पास आवासीय गतिविधिया विद्यमान है। फोटो ग्राफस संलग्न है। उक्त भूमि लखनऊ महानगर योजना के अन्तर्गत ग्राम की है अन्य किसी भी योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित नहीं है। अतः उक्त भूमि को धारा-80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किए जाने हेतु आख्या प्रेषित की गयी है।

वाद दर्ज कर नियमानुसार लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ/सरकार को नोटिस जारी की गयी जो बाद तामीला संलग्न पत्रावली है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और न ही उनकी ओर से कोई आपत्ति दाखिल की गयी है।

आवेदक द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में ग्राम गौरा की उद्भरण खतौनी वर्ष 1429 से 1434 फसली के खाता संख्या-01261 की प्रति इसके अतिरिक्त नियमानुसार निर्धारित शुल्क/न्याय शुल्क आन लाईन जनरेट निर्धारित शुल्क-9362.00रु/-के सापेक्ष आवेदन संख्या टी 802025013940





आनलाईन चालान संख्या आर0ए0जे0 250024829 शुल्क 9362.00रू./जमा किया व
आनलाईन चालान संख्या आर0ए0जे0 250036217 शुल्क 100.00रू./जमा किया गया।

मैने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों/साक्ष्यों एवं तहसीलदार की आख्या का सम्यक अवलोकन व
परिशीलन किया। जिससे स्पष्ट है कि वर्तमान में प्रश्नगत भूमि पर कृषि से सम्बन्धित कोई कार्य नहीं
किया जा रहा है, ऐसी दशा में प्रश्नगत भूमि को कृषि बागवानी, पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य
संबर्द्धन तथा कुक्कुट पालन नहीं हो रहा है को अकृषिक घोषित किए जाने में कोई विधिक बाधा
प्रतीत नहीं होती है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार मोहनलालगंज की आख्या दिनांक
12.03.2025 स्वीकार की जाती है। आवेदक सिल्वर स्वान कन्स्ट्रक्शन्स कार्यालय शुभम सिनेमा
बिल्डिंग कैट रोड कैसरबाग लखनऊ द्वारा प्रोपराइटर स्वनय साहू पुत्र श्री संजय कुमार साहू निवासी
2/30 विशाल खण्ड गोमतीनगर लखनऊ उत्तर प्रदेश के आराजी मौजा ग्राम गौरा की खतीनी वर्ष
1429 से 1434 फसली में स्थित आराजी खाता संख्या-01261 पर अंकित गाटा संख्या-1900
रकबा-0.2910हे. को आराजी (भूमि) को उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 की धारा-80(2) में
उल्लिखित शर्तों के अधीन उक्त भूमि का प्रयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिये किया जाता है। इस
उपधारा के अधीन घोषणा, भू-उपयोग परिवर्तन की कोटि में नहीं होगी और उक्त भूमि निरन्तर कृषि
भूमि के रूप में ही समझी जायेगी। तथापि भूमिधर ऐसी जोत या उसके आंशिक भाग, जिसके लिए
इस उपधारा के अधीन घोषणा प्राप्त की गयी हो, पर प्रस्तावित गतिविधि अथवा परियोजना के ऋण
और अन्य आवश्यक अनुज्ञाएं, समाशोधन आदि प्राप्त करने का हकदार होगा, यदि प्रस्तावित गाटों का
कोई भी अंश भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में है, वह अंश इस आदेश से मुक्त रहेगा। तहसीलदार
मोहनलालगंज की आख्या दिनांक 12.03.2025 पारित आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। यह घोषणा
केवल राजस्व की दृष्टि से की जा रही है, अन्य अधिनियमों एवं मास्टर प्लान पर उसका प्रभाव नहीं
होगा। इस भूमि का प्रयोग एवं इस पर निर्माण लखनऊ विकास क्षेत्र महायोजना-2031 के अनुसार ही
अनुमन्य होगा। यदि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि, मत्स्य, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि से सम्बन्धित
कार्य हेतु भूमि का उपयोग किया जाता है तो धारा-82 उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत
तहसीलदार तत्काल अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्य यदि कभी भी
संज्ञान में आने पर अतिरिक्त एवं फर्जी पाये जाते हैं तो यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।



अभिलेखों में अमल-दरामद हेतु आदेश की एक प्रति तहसीलदार मोहनलालगंज, लखनऊ को व एक प्रति उप निबन्धक, मोहनलालगंज को भेजी जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

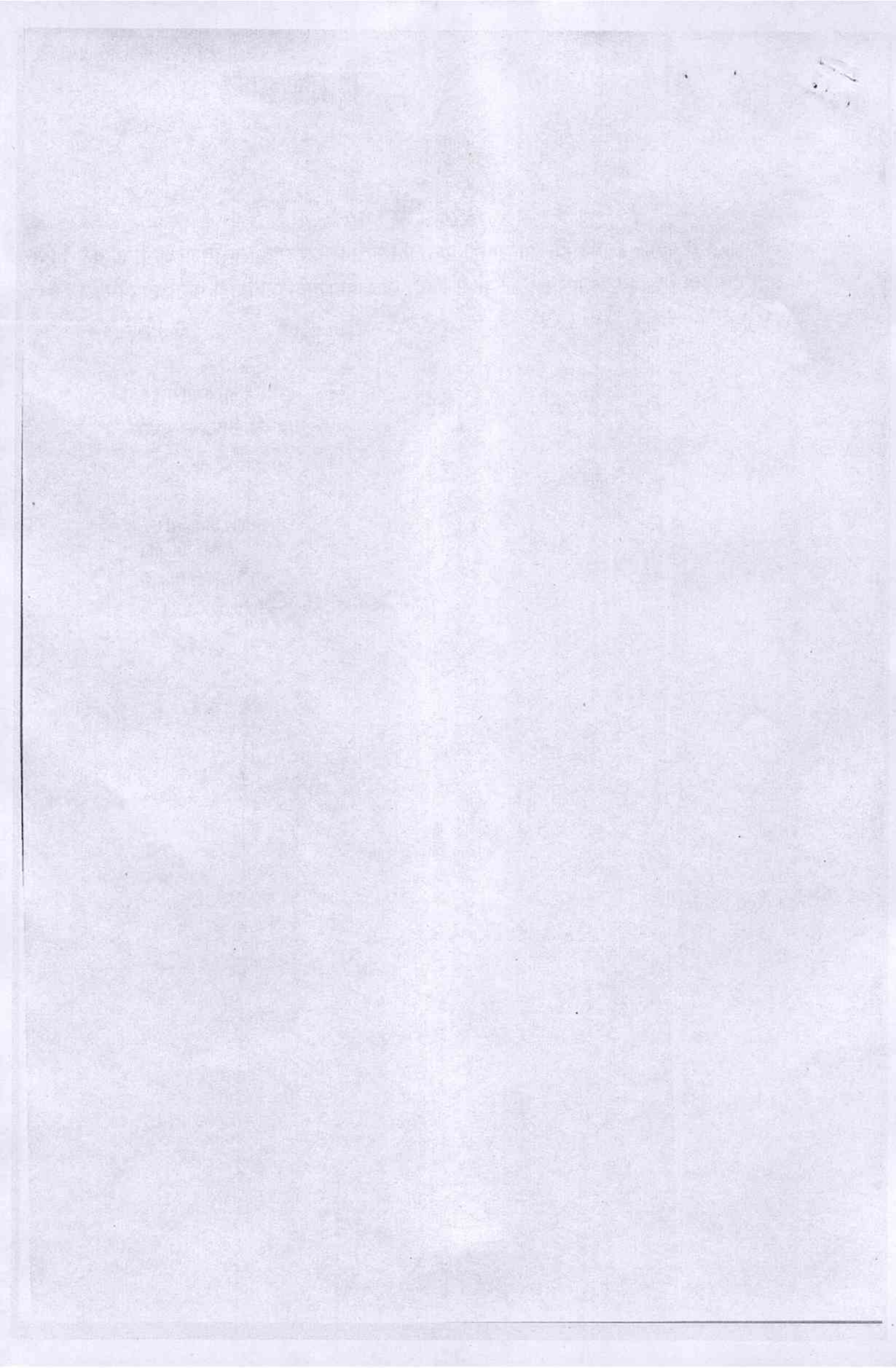
उपजिलाधिकारी
मोहनलालगंज लखनऊ

Digitally Signed by:

Ankit Shukla

उपजिलाधिकारी

दिनांक समय: 28-05-2025 07:51:3 PM





न्यायालय- उपजिलाधिकारी

जनपद - लखनऊ, तहसील - मोहनलालगंज

कंप्यूटरीकृत संख्या :- T802025043455

आवेदक का नाम :- सिल्वर स्वान कन्स्ट्रक्शन्स द्वारा प्रोपराइटर स्वनय साहू
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 23/07/2025

आदेश

प्रार्थी सिल्वर स्वान कन्स्ट्रक्शन्स कार्यालय शुभम सिनेमा बिल्डिंग कैटरोड कैसरबाग लखनऊ द्वारा प्रोपराइटर स्वनय साहू पुत्र श्री संजय कुमार साहू निवासी 2/30 विशाल खण्ड गोमतीनगर लखनऊ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 का संज्ञान लेकर प्रकरण की जांच तहसीलदार मोहनलालगंज जिला लखनऊ के माध्यम से करायी गयी।

तहसीलदार मोहनलालगंज जनपद लखनऊ की निर्धारित प्रारूप पर जांच आख्या पत्रावलित हुई। जिसमें यह पाया गया कि खाता संख्या 00759 पर अंकित गाटा संख्या-1896 रकबा-0.1520 हे. मालगुजारी स्थित ग्राम गौरा परगना व तहसील मोहनलालगंज जनपद लखनऊ पर उपरोक्त प्रार्थी का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। प्रश्नगत भूमि पर कृषि कार्य से सम्बन्धित जैसे कृषि बागवानी, पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य संबर्द्धन तथा कुक्कुट पालन आदि कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, आस-पास आवासीय गतिविधिया विद्यमान है। फोटो ग्राफ्स संलग्न है। उक्त भूमि लखनऊ महानगर योजना के अन्तर्गत ग्राम की है अन्य किसी भी योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित नहीं है। अतः उक्त भूमि को धारा-80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किए जाने हेतु आख्या प्रेषित की गयी है।

तहसीलदार मोहनलालगंज लखनऊ की उक्त आख्या से संतुष्ट होने के पश्चात् वाद दर्ज रजिस्टर कर " राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-20.2024/402/एक-2024-1-1099/3514/2020-रा0-1 दिनांक 17.05.2024 के शासनादेश के बिन्दु संख्या-2 में उल्लिखित है कि धारा-80 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के संबंध में यह भी अवगत कराना है कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, नगर विकास विभाग तथा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग की अनापत्ति हेतु 30 दिन की समय सीमा निर्धारित की गयी है। यदि 30 दिन के भीतर आपत्ति प्राप्त नहीं



होती है तो इसे डीमड टू नो आब्जेक्शन मान कर निस्तारित कर दिया जाएगा" के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण को नियमानुसार नोटिस जारी की गयी।

आवेदक द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में ग्राम गौरा की उद्धरण खतौनी वर्ष 1429 से 1434 फसली के खाता संख्या-00759 की प्रति इसके अतिरिक्त नियमानुसार निर्धारित शुल्क/न्याय शुल्क आन लाईन जनरेट निर्धारित शुल्क-4914.00रू/-के सापेक्ष आनलाईन आवेदन संख्या टी 802025029683 चालान संख्या आर0ए0जे0 250035297 शुल्क 4914.00रू./जमा व चालान संख्या आर0ए0जे0 250074335 शुल्क 100.00रू./जमा किया गया।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों/साक्ष्यों एवं तहसीलदार की आख्या का सम्यक अवलोकन व परिशीलन किया। जिससे स्पष्ट है कि वर्तमान में प्रश्नगत भूमि पर कृषि से सम्बन्धित कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, ऐसी दशा में प्रश्नगत भूमि को कृषि बागवानी, पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य संबर्द्धन तथा कुक्कुट पालन नहीं हो रहा है को अकृषिक घोषित किए जाने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार मोहनलालगंज की आख्या दिनांक 05.04.2025 स्वीकार की जाती है। आवेदक सिल्वर स्वान कन्स्ट्रक्शन्स कार्यालय शुभम सिनेमा बिल्डिंग कैंटरोड कैसरबाग लखनऊ द्वारा प्रोपराइटर स्वनय साहू पुत्र श्री संजय कुमार साहू निवासी 2/30विशाल खण्ड गोमतीनगर लखनऊ के आराजी मौजा ग्राम गौरा की खतौनी वर्ष 1429 से 1434 फसली में स्थित आराजी खाता संख्या 00759 पर अंकित गाटा संख्या-1896 रकबा-0.1520हे. को आराजी (भूमि) को उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 की धारा-80(2) में उल्लिखित शर्तों के अधीन उक्त भूमि का प्रयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिये किया जाता है। इस उपधारा के अधीन घोषणा, भू-उपयोग परिवर्तन की कोटि में नहीं होगी और उक्त भूमि निरन्तर कृषि भूमि के रूप में ही समझी जायेगी। तथापि भूमिधर ऐसी जोत या उसके आंशिक भाग, जिसके लिए इस उपधारा के अधीन घोषणा प्राप्त की गयी हो, पर प्रस्तावित गतिविधि अथवा परियोजना के ऋण और अन्य आवश्यक अनुज्ञाएं, समाशोधन आदि प्राप्त करने का हकदार होगा, यदि प्रस्तावित गाटों का कोई भी अंश भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में है, वह अंश इस आदेश से मुक्त रहेगा। तहसीलदार मोहनलालगंज की आख्या पारित आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। यह घोषणा केवल राजस्व की दृष्टि से की जा रही है, अन्य अधिनियमों एवं मास्टर प्लान पर उसका प्रभाव नहीं होगा। इस भूमि का प्रयोग एवं इस पर निर्माण



लखनऊ विकास क्षेत्र महायोजना-2031 के अनुसार ही अनुमन्य होगा। यदि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि, मत्स्य, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि से सम्बन्धित कार्य हेतु भूमि का उपयोग किया जाता है तो धारा-82 उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत तहसीलदार तत्काल अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्य यदि कभी भी संज्ञान में आने पर अविधिक एवं फर्जी पाये जाते हैं तो यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। अभिलेखों में अमल-दरामद हेतु आदेश की एक प्रति तहसीलदार मोहनलालगंज, लखनऊ को व एक प्रति उप निबन्धक, मोहनलालगंज को भेजी जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उपजिलाधिकारी
मोहनलालगंज लखनऊ

Digitally Signed by:

Ankit Shukla

उपजिलाधिकारी

दिनांक समय: 23-07-2025 11:07:7 PM



न्यायालय- उपजिलाधिकारी

जनपद - लखनऊ, तहसील - मोहनलालगंज

कंप्यूटरीकृत संख्या :- T802025065737

आवेदक का नाम :- सिल्वर स्वान कन्स्ट्रक्शन द्वारा प्रोपराइटर स्वनय साहू

अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 01/11/2025

आदेश

प्रार्थी सिल्वर स्वान कन्स्ट्रक्शन कार्यालय शुभम सिनेमा बिल्डिंग कैट रोड कैसरबाग लखनऊ उत्तर प्रदेश द्वारा प्रोपराइटर स्वनय साहू पुत्र श्री संजय कुमार साहू निवासी 2/30 विशाल खण्ड गोमतीनगर लखनऊ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 का संज्ञान लेकर प्रकरण की जांच तहसीलदार मोहनलालगंज जिला लखनऊ के माध्यम से करायी गयी।

तहसीलदार मोहनलालगंज जनपद लखनऊ की निर्धारित प्रारूप पर जांच आख्या पत्रावलित हुई। जिसमें यह पाया गया कि खाता संख्या 00163 पर अंकित गाटा संख्या-1895 रकबा-0.2150 हे. में से रकबा-0.2131 हे0 मालगुजारी स्थित ग्राम गौरा परगना व तहसील मोहनलालगंज जनपद लखनऊ पर उपरोक्त प्रार्थी का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। प्रश्नगत भूमि पर कृषि कार्य से सम्बन्धित जैसे कृषि बागवानी, पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य संबर्द्धन तथा कुक्कुट पालन आदि कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, आस-पास आवासीय गतिविधिया विद्यमान है। फोटो ग्राफ्स संलग्न है। उक्त भूमि लखनऊ महानगर योजना के अन्तर्गत ग्राम की है अन्य किसी भी योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित नहीं है। अतः उक्त भूमि को धारा-80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किए जाने हेतु आख्या प्रेषित की गयी है।

तहसीलदार मोहनलालगंज लखनऊ की उक्त आख्या से संतुष्ट होने के पश्चात् वाद दर्ज रजिस्टर कर " राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-20.2024/402/एक-2024-1-1099/3514/2020-रा0-1 दिनांक 17.05.2024 के शासनादेश के बिन्दु संख्या-2 में उल्लिखित है कि धारा-80 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के संबंध में यह भी अवगत कराना है कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, नगर विकास विभाग तथा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग की अनापत्ति हेतु 30 दिन की समय सीमा निर्धारित की गयी है। यदि 30 दिन के भीतर आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो इसे



डीमड टू नो आब्जेक्शन मान कर निस्तारित कर दिया जाएगा" के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण को नियमानुसार नोटिस जारी की गयी, जिसपर आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

आवेदक द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में ग्राम गौरा की उद्धरण खतौनी वर्ष 1429 से 1434 फसली के खाता संख्या-00163 प्रति इसके अतिरिक्त नियमानुसार निर्धारित शुल्क/न्याय शुल्क आन लाईन जनरेट निर्धारित शुल्क-7934.70रू/-के सापेक्ष आनलाईन चालान संख्या आर0ए0जे0 250106576 शुल्क 7935.00रू./जमा किया गया।

मैने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों/साक्ष्यों एवं तहसीलदार की आख्या का सम्यक अवलोकन व परिशीलन किया। जिससे स्पष्ट है कि वर्तमान में प्रश्नगत भूमि पर कृषि से सम्बन्धित कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, ऐसी दशा में प्रश्नगत भूमि को कृषि बागवानी, पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य संबर्द्धन तथा कुक्कुट पालन नहीं हो रहा है को अकृषिक घोषित किए जाने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार मोहनलालगंज की आख्या दिनांक 21.10.2025 स्वीकार की जाती है। आवेदक सिल्वर स्वान कन्स्ट्रक्शन कार्यालय शुभम सिनेमा बिल्डिंग कैंट रोड कैसरबाग लखनऊ उत्तर प्रदेश द्वारा प्रोपराइटर स्वनय साहू पुत्र श्री संजय कुमार साहू निवासी 2/30 विशाल खण्ड गोमतीनगर लखनऊ के आराजी मौजा ग्राम गौरा की खतौनी वर्ष 1429 से 1434 फसली में स्थित आराजी खाता संख्या 00163 पर अंकित गाटा संख्या-1895 रकबा-0.2150हे. में से रकबा-0.2131हे0 को आराजी (भूमि) को उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 की धारा-80(2) में उल्लिखित शर्तों के अधीन उक्त भूमि का प्रयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिये किया जाता है। इस उपधारा के अधीन घोषणा, भू-उपयोग परिवर्तन की कोटि में नहीं होगी और उक्त भूमि निरन्तर कृषि भूमि के रूप में ही समझी जायेगी। तथापि भूमिधर ऐसी जोत या उसके आंशिक भाग, जिसके लिए इस उपधारा के अधीन घोषणा प्राप्त की गयी हो, पर प्रस्तावित गतिविधि अथवा परियोजना के ऋण और अन्य आवश्यक अनुज्ञाएं, समाशोधन आदि प्राप्त करने का हकदार होगा, यदि प्रस्तावित गाटों का कोई भी अंश भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में है, वह अंश इस आदेश से मुक्त रहेगा। तहसीलदार मोहनलालगंज की आख्या पारित आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। यह घोषणा केवल राजस्व की दृष्टि से की जा रही है, अन्य अधिनियमों एवं मास्टर प्लान पर उसका प्रभाव नहीं होगा। इस भूमि का प्रयोग एवं इस पर निर्माण लखनऊ विकास क्षेत्र महायोजना-2031 के अनुसार ही अनुमन्य होगा।



यदि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि, मत्स्य, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि से सम्बन्धित कार्य हेतु भूमि का उपयोग किया जाता है तो धारा-82 उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत तहसीलदार तत्काल अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्य यदि कभी भी संज्ञान में आने पर अविधिक एवं फर्जी पाये जाते हैं तो यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। अभिलेखों में अमल-दरामद हेतु आदेश की एक प्रति तहसीलदार मोहनलालगंज, लखनऊ को व एक प्रति उप निबन्धक, मोहनलालगंज को भेजी जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उपजिलाधिकारी
मोहनलालगंज लखनऊ

Digitally Signed by:
PAWAN PATEL
उपजिलाधिकारी

दिनांक समय: 01-11-2025 06:19:29 PM



न्यायालय- उपजिलाधिकारी

जनपद - लखनऊ, तहसील - मोहनलालगंज

कंप्यूटरीकृत संख्या :- T802024071345

आवेदक का नाम :- सिल्वर स्वान कन्स्ट्रक्शन द्वारा प्रोपराइटर स्वनय साहू

अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 30/01/2025

आदेश

प्रार्थी सिल्वर स्वान कन्स्ट्रक्शन कार्यालय सुभम सिनेमा बिल्डिंग कैंट रोड कैसरबाग लखनऊ द्वारा प्रोपराइटर स्वनय साहू पुत्र श्री संजय कुमार साहू निवासी 2/30 विशाल खण्ड गोमतीनगर लखनऊ उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 का संज्ञान लेकर प्रकरण की जांच तहसीलदार मोहनलालगंज जिला लखनऊ के माध्यम से करायी गयी।

तहसीलदार मोहनलालगंज जनपद लखनऊ की निर्धारित प्रारूप पर जांच आख्या पत्रावलित हुई। जिसमें यह पाया गया कि खाता संख्या-00569 पर अंकित गाटा संख्या-1926 रकबा-0.2530 हे. व खाता संख्या-00901 पर अंकित गाटा संख्या-1882 रकबा-0.0510 हे. में से रकबा-0.0255 हे. इस प्रकार कुल रकबा-0.2785 हे. मालगुजारी स्थित ग्राम गौरा परगना व तहसील मोहनलालगंज जनपद लखनऊ पर उपरोक्त प्रार्थी का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। प्रश्नगत भूमि पर कृषि कार्य से सम्बन्धित जैसे कृषि बागवानी, पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य संबर्द्धन तथा कुक्कुट पालन आदि कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, आस-पास आवासीय गतिविधियां विद्यमान है। फोटो ग्राफ्स संलग्न है। उक्त भूमि लखनऊ महानगर योजना के अन्तर्गत ग्राम की है अन्य किसी भी योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित नहीं है। अतः उक्त भूमि को धारा-80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किए जाने हेतु आख्या प्रेषित की गयी है।

वाद दर्ज कर नियमानुसार लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ/सरकार को नोटिस जारी की गयी जो बाद तामीला संलग्न पत्रावली है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और न ही उनकी ओर से कोई आपत्ति दाखिल की गयी है।

आवेदक द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में ग्राम गौरा की उद्धरण खतौनी वर्ष 1429 से 1434 फसली के खाता संख्या-00901, 00569 की प्रति इसके अतिरिक्त नियमानुसार निर्धारित शुल्क/न्याय शुल्क आन लाईन जनरेट निर्धारित शुल्क-8962.00रू/-के सापेक्ष आनलाईन चालान संख्या आर0ए0जे0 250007151 शुल्क 8962.00रू./जमा किया गया।



मैने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों/साक्ष्यों एवं तहसीलदार की आख्या का सम्यक अवलोकन व परिशीलन किया। जिससे स्पष्ट है कि वर्तमान में प्रश्नगत भूमि पर कृषि से सम्बन्धित कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, ऐसी दशा में प्रश्नगत भूमि को कृषि बागवानी, पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य संबर्द्धन तथा कुक्कुट पालन नहीं हो रहा है को अकृषिक घोषित किए जाने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है।

अतएव प्रश्नगत भूमि के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त तहसीलदार मोहनलालगंज की आख्या के आधार पर आवेदक सिल्वर स्वान कन्सट्रक्शन कार्यालय सुभम सिनेमा बिल्डिंग कैट रोड कैसरबाग लखनऊ द्वारा प्रोपराइटर स्वनय साहू पुत्र श्री संजय कुमार साहू निवासी 2/30 विशाल खण्ड गोमतीनगर लखनऊ उत्तर प्रदेश की भूमि स्थित ग्राम गौरा परगना व तहसील मोहनलालगंज जनपद लखनऊ की खाता संख्या-00569 पर अंकित गाटा संख्या-1926क रकबा-0.2530हे. व खाता संख्या-00901 पर अंकित गाटा संख्या-1882 रकबा-0.0510हे. में से रकबा-0.0255हे0 इस प्रकार कुल रकबा-0.2785हे0 मालगुजारी 60ख से मुक्त करते हुए कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन अकृषिक प्राख्यापित की जाती है। अन्य अधिनियमों एवं मास्टर प्लान पर इसका प्रभाव नहीं होगा। इस भूमि का प्रयोग एवं इस पर निर्माण लखनऊ विकास क्षेत्र महानगर योजना के नियमों के अनुसार ही अनुमन्य होगा। यदि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि से सम्बन्धित कार्य हेतु भूमि का उपयोग किया जाता है तो राजस्व संहिता की धारा-82 के अन्तर्गत तत्काल तहसीलदार, मोहनलालगंज अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे। परन्तु आदेश की घोषणा के दिन से पांच वर्षों की अवधि के भीतर यदि भूमिधर प्रस्तावित गैर कृषि सम्बन्धी गतिविधि प्रारम्भ करने में विफल रहता है, तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश के अनुसार धारा-80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की उपधारा (2) के अधीन जोत या उसके आंशिक भाग की घोषणा व्यपगत हो जायेगी। अकृषिक घोषित की जा रही भूमि में यदि राज्य सरकार की आरक्षित श्रेणी की भूमि का समावेश भविष्य में प्रकाश में आता है तथा आवेदक द्वारा यदि कोई तथ्य छिपाया गया होगा, तो यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। अभिलेखों में अंकन किए जाने हेतु आदेश की एक प्रति तहसीलदार मोहनलालगंज व एक प्रति उप निबन्धक मोहनलालगंज को भेजी जाय। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

उप जिलाधिकारी



मोहनलालगंज,

लखनऊ

Digitally Signed by:
Brijesh Kumar Verma
उपजिलाधिकारी

दिनांक समय: 30-01-2025 11:04:27 PM



न्यायालय- उपजिलाधिकारी

जनपद - लखनऊ, तहसील - मोहनलालगंज

कंप्यूटरीकृत संख्या :- T802026015070

आवेदक का नाम :- सिल्वर स्वान कन्स्ट्रक्शन्स द्वारा प्रोपराइटर स्वनय साहू

अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 26/02/2026

आदेश

प्रार्थी सिल्वर स्वान कन्स्ट्रक्शन्स कार्यालय शुभम सिनेमा बिल्डिंग कैट रोड लखनऊ प्रोपराइटर स्वनय साहू पुत्र श्री संजय कुमार साहू पता 2/30 विशाल खण्ड गोमतीनगर जिला लखनऊ उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 का संज्ञान लेकर प्रकरण की जांच तहसीलदार मोहनलालगंज जिला लखनऊ के माध्यम से करायी गयी।

तहसीलदार मोहनलालगंज जनपद लखनऊ की निर्धारित प्रारूप पर जांच आख्या पत्रावलित हुई। जिसमें यह पाया गया कि खाता संख्या 01204 पर अंकित गाटा संख्या-1874ख रकबा-0.207हे. व गाटा संख्या-1880 रकबा-0.0190हे. मालगुजारी स्थित ग्राम गौरा परगना व तहसील मोहनलालगंज जनपद लखनऊ पर उपरोक्त प्रार्थी का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। प्रश्नगत भूमि पर कृषि कार्य से सम्बन्धित जैसे कृषि बागवानी, पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य संबर्द्धन तथा कुक्कुट पालन आदि कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, आस-पास आवासीय गतिविधिया विद्यमान है। फोटो ग्राप्स संलग्न है। उक्त भूमि लखनऊ महानगर योजना के अन्तर्गत ग्राम की है अन्य किसी भी योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित नहीं है। अतः उक्त भूमि को धारा-80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किए जाने हेतु आख्या प्रेषित की गयी है।

तहसीलदार मोहनलालगंज लखनऊ की उक्त आख्या से संतुष्ट होने के पश्चात् वाद दर्ज रजिस्टर कर "राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-20.2024/402/एक-2024-1-1099/3514/2020-रा0-1 दिनांक 17.05.2024 के शासनादेश के बिन्दु संख्या-2 में उल्लिखित है कि धारा-80 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के संबंध में यह भी अवगत कराना है कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, नगर विकास विभाग तथा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग की अनापत्ति हेतु 30 दिन की समय सीमा निर्धारित की गयी है। यदि 30 दिन के भीतर आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो इसे



डीमड टू नो आब्जेक्शन मान कर निस्तारित कर दिया जाएगा" के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण को नियमानुसार नोटिस जारी की गयी। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

आवेदक द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में ग्राम गौरा उद्धरण खतौनी वर्ष 1429 से 1434 फसली के खाता संख्या-01204 की प्रति इसके अतिरिक्त नियमानुसार निर्धारित शुल्क/न्याय शुल्क आन लाईन जनरेट निर्धारित शुल्क-8412.00रू/-के सापेक्ष आनलाईन चालान संख्या आर0ए0जे0 260018167 शुल्क 8412.00रू./जमा किया गया।

मैने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों/साक्ष्यों एवं तहसीलदार की आख्या का सम्यक अवलोकन व परिशीलन किया। नायब तहसीलदार मोहनलालगंज जिला लखनऊ द्वारा अपनी आख्या में कहा गया है कि वादीय भूमि गाटा संख्या-1880 को छोड़कर शेष रा0नि0 आख्या प्रेषित। जिससे स्पष्ट है कि खाता संख्या 01204 पर अंकित गाटा संख्या-1874ख रकबा-0.207हे. पर वर्तमान में कृषि से सम्बन्धित कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, ऐसी दशा में प्रश्नगत भूमि खाता संख्या 01204 पर अंकित गाटा संख्या-1874ख रकबा-0.207हे. पर कृषि बागवानी, पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य संबर्द्धन तथा कुक्कुट पालन नहीं हो रहा है को अकृषिक घोषित किए जाने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार मोहनलालगंज की आख्या दिनांक-18.02.2025 स्वीकार की जाती है। आवेदक सिल्वर स्वान कन्स्ट्रक्शन्स कार्यालय शुभम सिनेमा बिल्डिंग कैट रोड लखनऊ प्रोपराईटर स्वनय साहू पुत्र श्री संजय कुमार साहू पता 2/30 विशाल खण्ड गोमतीनगर जिला लखनऊ उत्तर प्रदेश के आराजी मौजा ग्राम गौरा की खतौनी वर्ष 1429 से 1434 फसली में स्थित आराजी खाता संख्या 01204 पर अंकित गाटा **संख्या-1874ख रकबा-0.207हे.** आराजी (भूमि) को उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 की धारा-80(2) में उल्लिखित शर्तों के अधीन उक्त भूमि का प्रयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिये किया जाता है। इस उपधारा के अधीन घोषणा, भू-उपयोग परिवर्तन की कोटि में नहीं होगी और उक्त भूमि निरन्तर कृषि भूमि के रूप में ही समझी जायेगी। तथापि भूमिधर ऐसी जोत या उसके आंशिक भाग, जिसके लिए इस उपधारा के अधीन घोषणा प्राप्त की गयी हो, पर प्रस्तावित गतिविधि अथवा परियोजना के ऋण और अन्य आवश्यक अनुज्ञाएं, समाशोधन आदि प्राप्त करने का हकदार होगा, यदि प्रस्तावित गाटों का कोई भी अंश भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में है, वह अंश इस आदेश से मुक्त रहेगा। तहसीलदार मोहनलालगंज



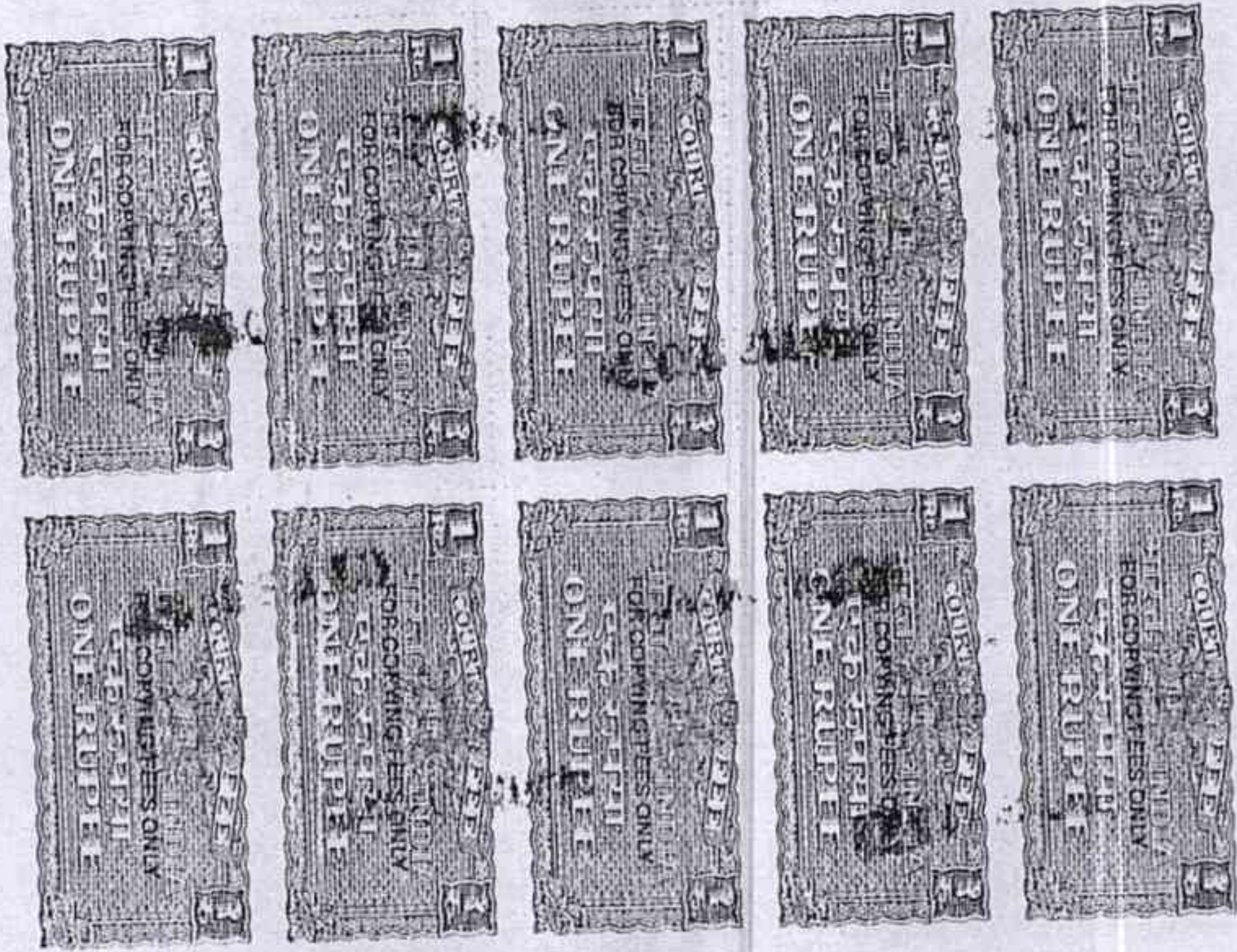
की आख्या दिनांक 18.02.2025 पारित आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। यह घोषणा केवल राजस्व की दृष्टि से की जा रही है, अन्य अधिनियमों एवं मास्टर प्लान पर उसका प्रभाव नहीं होगा। इस भूमि का प्रयोग एवं इस पर निर्माण लखनऊ विकास क्षेत्र महायोजना-2031 के अनुसार ही अनुमन्य होगा। यदि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि, मत्स्य, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि से सम्बन्धित कार्य हेतु भूमि का उपयोग किया जाता है तो धारा-82 उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत तहसीलदार तत्काल अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्य यदि कभी भी संज्ञान में आने पर अविधिक एवं फर्जी पाये जाते हैं तो यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। अभिलेखों में अमल-दरामद हेतु आदेश की एक प्रति तहसीलदार मोहनलालगंज, लखनऊ को व एक प्रति उप निबन्धक, मोहनलालगंज को भेजी जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उपजिलाधिकारी
मोहनलालगंज लखनऊ

Digitally Signed by:
PAWAN PATEL
उपजिलाधिकारी

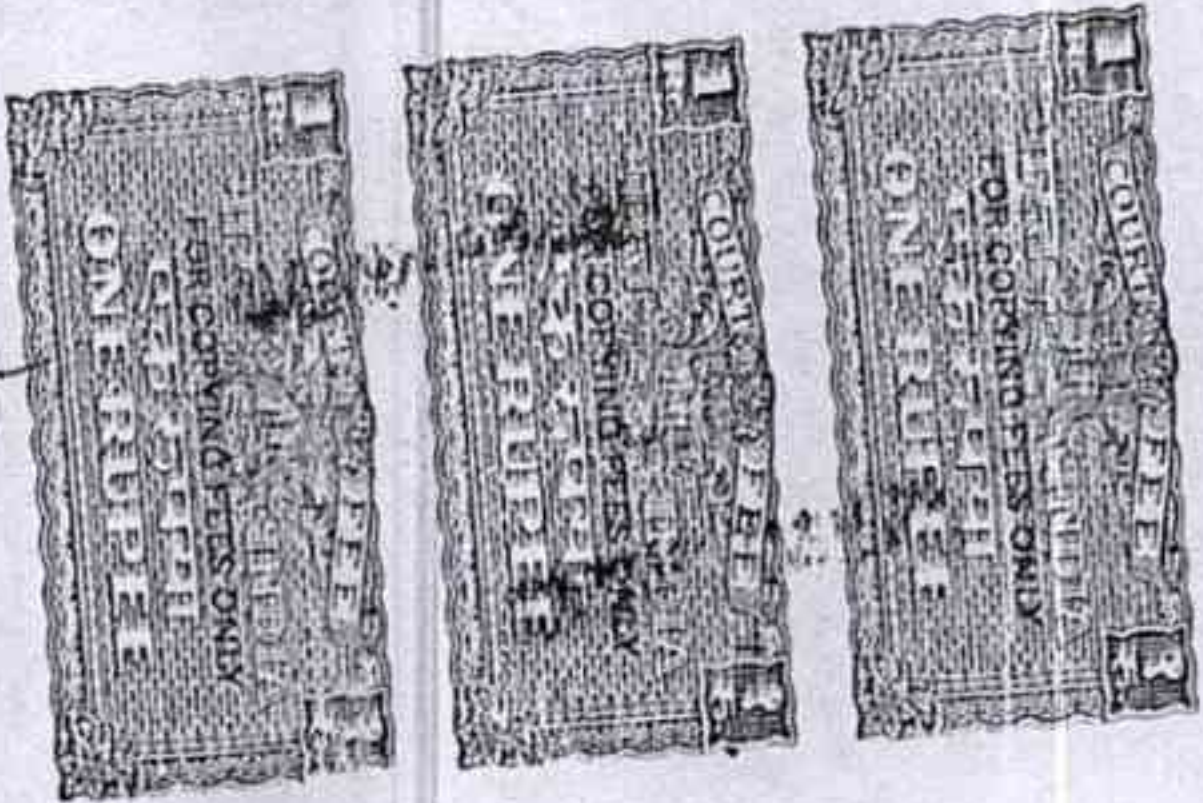
दिनांक समय: 26-02-2026 12:59:25 PM

1905 (Sparch)



102
3-4-14

13
13.00



भायलम उपजिलाधिकारी श्रीहनलालगंज, लखनऊ
नवल आदेश दिनांक-19-9-13 वाद सं-321/12-13
स्पष्टीकरण वनाप्रसरकार द्वारा-143 जर्न पञ्जीष्ट
भाप्र-गौरा परगना व तहसील-श्रीहनलालगंज लखनऊ
प्रयोगीपरान्त प्रौढिप्रौ-नरत्न विभाजाता
प्रौढिवापी संलग्न।



न्यायालय असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी, मोहनलालगंज, लखनऊ।

वाद संख्या-321/12-13

स्पर्शराज बनाम सरकार

धारा-143 ज०वि०अधि०

ग्राम - गौरा

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही स्पर्शराज पुत्र संजय कुमार नि० मंसूरगंज जिला पटना सिटी, पटना हाल पता-1001 मिनार टावर, विगूतिखण्ड, गोगती नगर, लखनऊ के प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रारंभ की गई। जिसमें अवगत कराया गया कि प्रार्थी के नाम भूमि गाटा संख्या-1905/0.1320हे०, 1907/0.1750हे०, 1908/0.0570हे०, 1902/0.202हे०, 1917/0.202 हे०, 1926ख/0.1260हे०, 1881/0.0810हे०, 1883/0.2910हे०, 1889/0.0890हे० कुल रकबा 0.4610हे० का 4/10 भाग रकबा 0.1844हे० एवं गाटा संख्या-1939/0.2400हे० में से रकबा 0.0500हे०, एवं गाटा संख्या-1959/0.0670हे० व गाटा संख्या-1980क/0.0630हे० का कुल रकबा 0.1300हे० का 1/2 भाग रकबा 0.0650हे०, गाटा संख्या-1882/0.0510हे० का 3/4 भाग रकबा 0.03825हे० कुल 13 किता रकबा 1.2316हे० स्थित ग्राम गौरा परगना व तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ पर खेती नहीं हो रही है। प्रार्थी की उक्त भूमि पर कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, वागवानी के उपयोग में नहीं लाई जा रही है बल्कि अन्य उपयोगिता में लाई जा रही है। प्रार्थी द्वारा भूमि गाटा संख्या-1905/0.1320हे०, 1907/0.1750हे०, 1908/0.0570हे०, 1902/0.202हे०, 1917/0.202 हे०, 1926ख/0.1260हे०, 1881/0.0810हे०, 1883/0.2910हे०, 1889/0.0890हे० कुल रकबा 0.4610हे० का 4/10 भाग रकबा 0.1844हे० एवं गाटा संख्या-1939/0.2400हे० में से रकबा 0.0500हे०, एवं गाटा संख्या-1959/0.0670हे० व गाटा संख्या-1980क/0.0630हे० का कुल रकबा 0.1300हे० का 1/2 भाग रकबा 0.0650हे०, गाटा संख्या-1882/0.0510हे० का 3/4 भाग रकबा 0.03825हे० कुल 13 किता रकबा 1.2316हे० स्थित ग्राम गौरा परगना व तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ को अकृषिक घोषित किए जाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर तहसीलदार मोहनलालगंज से प्राप्त आख्या दिनांक 03.08.2013 में अवगत कराया गया कि प्रश्नगत उल्लिखित गाटा संख्या संकमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। उक्त गाटा संख्या के प्रश्नगत भाग पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है प्लाटिंग हेतु प्रस्तावित है। भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित महायोजना के अन्तर्गत नोटिफाइड ग्राम की नहीं है। उक्त गाटा संख्या के रकबे सरकारी भूमि नहीं है। सीमा सम्बन्धी विवाद नहीं है। भूमि का कोई वाद नहीं है। आख्या में भूमि गाटा संख्या-1905/0.1320हे०, 1907/0.1750हे०, 1908/0.0570हे०, 1902/0.202हे०, 1917/0.202 हे०, 1926ख/0.1260हे०, 1881/0.0810हे०, 1883/0.2910हे०, 1889/0.0890हे० कुल रकबा 0.4610हे० का 4/10 भाग रकबा 0.1844हे० एवं गाटा संख्या-1939/0.2400हे० में से रकबा 0.0500हे०, एवं गाटा संख्या-1959/0.0670हे० व गाटा संख्या-1980क/0.0630हे० का कुल रकबा 0.1300हे० का 1/2 भाग रकबा 0.0650हे०, गाटा संख्या-1882/0.0510हे० का 3/4 भाग रकबा 0.03825हे० कुल 13 किता रकबा 1.2316हे० स्थित ग्राम गौरा परगना व तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ को अकृषिक घोषित किए जाने का अनुरोध किया गया।

2316हे0 स्थित ग्राम गौरा परगना व तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ को अकृषिक घोषित किए जाने हेतु आख्या प्रेषित की गई।

वाद दर्ज कर पत्रावली का अवलोकन व परिशीलन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्राप्त आख्या में अवगत कराया गया कि प्रश्नगत उल्लिखित गाटा संख्या संकगणीय भूमिगत के रूप में दर्ज है। उक्त गाटा संख्या के प्रश्नगत भाग पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है प्लानिंग हेतु प्रस्तावित है। अतः तहसीलदार मोहनलालगंज से प्राप्त आख्या के आधार पर भूमि गाटा संख्या-1905/0.1320हे0, 1907/0.1750हे0, 1908/0.0570हे0, 1902/0.202हे0, 1917/0.202 हे0, 1926ख/0.1260हे0, 1881/0.0810हे0, 1883/0.2910हे0, 1889/0.0890हे0 कुल रकबा 0.4610हे0 का 4/10भाग रकबा 0.1844हे0 एवं गाटा संख्या-1939/0.2400हे0 में से रकबा 0.0500हे0, एवं गाटा संख्या-1959/0.0670हे0 व गाटा संख्या-1980क/0.0630हे0 का कुल रकबा 0.1300हे0 का 1/2भाग रकबा 0.0650हे0, गाटा संख्या-1882/0.0510हे0 का 3/4भाग रकबा 0.03825हे0 कुल 13 कित्ता रकबा 1.2316हे0 स्थित ग्राम गौरा परगना व तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ को अकृषिक घोषित किया जाना विधि संगत प्रतीत होता है।

-आदेश

अतः तहसीलदार मोहनलालगंज की आख्या के आधार पर भूमि गाटा संख्या-1905/0.1320हे0, 1907/0.1750हे0, 1908/0.0570हे0, 1902/0.202हे0, 1917/0.202 हे0, 1926ख/0.1260हे0, 1881/0.0810हे0, 1883/0.2910हे0, 1889/0.0890हे0 कुल रकबा 0.4610हे0 का 4/10भाग रकबा 0.1844हे0 एवं गाटा संख्या-1939/0.2400हे0 में से रकबा 0.0500हे0, एवं गाटा संख्या-1959/0.0670हे0 व गाटा संख्या-1980क/0.0630हे0 का कुल रकबा 0.1300हे0 का 1/2भाग रकबा 0.0650हे0, गाटा संख्या-1882/0.0510हे0 का 3/4भाग रकबा 0.03825हे0 कुल 13 कित्ता रकबा 1.2316हे0 स्थित ग्राम गौरा परगना व तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ को मालगुजारी 60 खं से मुक्त करते हुए प्रश्नगत भूमि कृषि, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि से गिन्न प्रयोजन में उपयोग किए जाने के कारण धारा-143ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत इस शर्त के साथ अकृषिक प्रख्यापित की जाती है कि यदि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि कृषि से सम्बन्धित कार्य हेतु भूमि का उपयोग किया जाता है तो धारा-144ज0वि0 एवं भू0व्य0अधि0 के अन्तर्गत तत्काल तहसीलदार अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे। आदेश की प्रति तहसीलदार मोहनलालगंज एवं उपनिबन्धक मोहनलालगंज को वास्ते आवश्यक कार्यवाही प्रेषित हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखागार हो।

दिनांक : 19.09.13 03-4-14

03-4-14

03-4-14

13.00

मोहनलालगंज

मोहनलालगंज

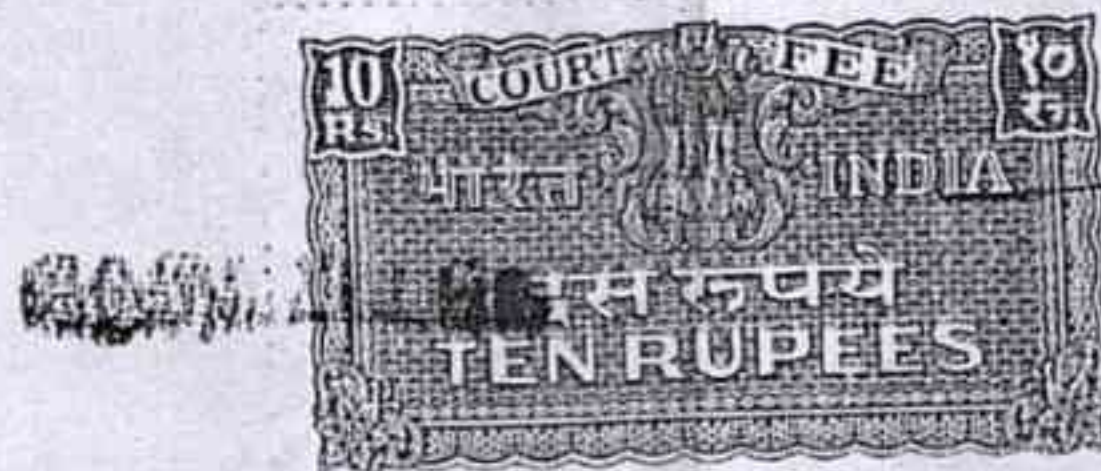
मोहनलालगंज

मोहनलालगंज

03-4-14

असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी, मोहनलालगंज, लखनऊ।





1
10.00

न्यायालय अधिलेखन प्रलेखन प्रथम कोणी
मोहन लाल गोखले लालका नकल कादेशा दिने
15 जनवरी बाबत वादसेठ 5/12/13-14 सकेतली
कसि बनाम सरकार अथवा 153 फाक्टि
इस गैर लक्ष्मील मोहन लाल गोखले लालका
फाक्टो परान्त फाक्टो लिखत लिपि पाता
फाक्टो फाक्टो लिखत लिपि



वाद संख्या- 512/13-14

संकेत लैण्ड आदि बनाम सरकार

धारा-143 ज0वि0अधि0

ग्राम-गौरा

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही संकेत लैण्ड फार्म प्रालि. द्वारा डायरेक्टर कैलाश चन्द्र पुत्र रामवरुण निवासी ग.नं. 201 आर.एस 2 एल.डी.ए कालोनी टिकैत राय तालाब राजाजीपुरम् लखनऊ, गुरुदीप पुत्र रामसरन निवासी पूरे डल्ला जगौली रामसनेही घाट बाराबंकी, रामप्रवेश पुत्र स्व0 लालधर नि. ई- 1/800 रुचिखण्ड-3 शारदानगर लखनऊ, कैलाश चन्द्र पुत्र रामवरुण निवासी ग.नं. 201 आर.एस 2 एल.डी.ए कालोनी टिकैत राय तालाब राजाजीपुरम् लखनऊ व राजीवीनी लैण्ड फार्म प्रालि0 कार्यालय 1001 भीनार टावर ओमेक्स वी.आई.पी गोगती नगर लखनऊ द्वारा डायरेक्टर ध्रुव कुमार शुक्ला पुत्र श्री पी. शुक्ला निवासी इब्राहीमगंज फैजाबाद रोड लखनऊ के प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रारम्भ की गई । जिसमें अवगत कराया गया कि प्रार्थी के नाम भूमि गाटा सं0 1887/0.0130हे0, 1897/0.106, 1898/0.152हे0, 1962/0.164हे0, 1985/0.2610हे0, 2019/0.253हे0 कुल 6 किता कुल रकबा 0.949हे0 में से 0.8304हे0 व गाटा सं0 1886/0.013हे0, व गाटा सं0 1896/0.152हे0 कुल दो किता कुल रकबा 0.165हे0 का 1/2 भाग रकबा 0.0825हे0 व गाटा सं0 1888/0.051 सम्पूर्ण व गाटा सं0 1915/0.101हे0 सम्पूर्ण व गाटा सं0 1978/0.076हे0 सम्पूर्ण व गाटा सं0 1979/0.215हे0 सम्पूर्ण व गाटा सं0 1949/0.025हे0 सम्पूर्ण व गाटा सं0 1960/0.025हे0 सम्पूर्ण 1963/0.025हे0 सम्पूर्ण व गाटा सं0 1929/0.077हे0, 1933/0.125हे0 दो किता रकबा 0.202हे0 का 1/3 भाग रकबा 0.0674हे0 व गाटा सं0 1918/0.190हे0 सम्पूर्ण व गाटा सं0 1920/0.076हे0, 1921/0.076हे0, 1922/0.316हे0 कुल तीन किता कुल रकबा 0.468हे0 का 1/15 भाग रकबा 0.0312हे0, व गाटा सं0 1935/0.367हे0, 2018/0.038हे0 का 2/9 भाग रकबा 0.090हे0, व गाटा सं0 1965/0.025हे0 सम्पूर्ण 1977क/0.051हे0, सम्पूर्ण 2008/0.1070हे0 सम्पूर्ण कुल आवेदित रकबा 1.9925हे0 स्थित ग्राम- गौरा पर0 व तह0 मोहनलालगंज लखनऊ को अकृषिक घोषित किए जाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर तहसीलदार मोहनलालगंज से प्राप्त आख्या दिनांक/../... में अवगत कराया गया कि प्रश्नगत उल्लिखित गाटा संख्या संकमणीय भूमिधार के रूप में दर्ज है। उक्त गाटा संख्या के प्रश्नगत भाग पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है बल्कि आवासीय गतिविधियां प्रतीत होती है। भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित महायोजना के अन्तर्गत नोटिफाइड ग्राम की नहीं है। आख्या में भूमि गाटा सं0 1887/0.0130हे0, 1897/0.106, 1898/0.152हे0, 1962/0.164हे0, 1985/0.2610हे0, 2019/0.253हे0 कुल 6 किता कुल रकबा 0.949हे0 में से 0.8304हे0 व गाटा सं0 1886/0.013हे0, व गाटा सं0 1896/0.152हे0 कुल दो किता कुल रकबा 0.165हे0 का 1/2 भाग रकबा 0.0825हे0 व गाटा सं0 1888/0.051 सम्पूर्ण व गाटा सं0 1915/0.101हे0 सम्पूर्ण व गाटा सं0 1978/0.076हे0 सम्पूर्ण व गाटा सं0 1979/0.215हे0 सम्पूर्ण व गाटा सं0 1949/0.025हे0 सम्पूर्ण व गाटा सं0 1960/0.025हे0 सम्पूर्ण 1963/0.025हे0 सम्पूर्ण व गाटा सं0 1929/0.077हे0, 1933/0.125हे0 दो किता रकबा 0.202हे0 का 1/3 भाग रकबा 0.0674हे0 व गाटा सं0 1918/0.190हे0 सम्पूर्ण व गाटा सं0 1920/0.076हे0, 1921/0.076हे0, 1922/0.316हे0 कुल तीन किता कुल रकबा 0.468हे0 का 1/15 भाग रकबा 0.0312हे0, व गाटा सं0 1935/0.367हे0, 2018/0.038हे0 का 2/9 भाग रकबा 0.090हे0, व गाटा सं0 1965/0.025हे0 सम्पूर्ण 1977क/0.051हे0, सम्पूर्ण 2008/0.1070हे0 सम्पूर्ण कुल आवेदित रकबा 1.9925हे0 स्थित ग्राम- गौरा पर0 व तह0 मोहनलालगंज लखनऊ को अकृषिक घोषित किए जाने हेतु आख्या प्रेषित की गई।

2

HO

वाद दर्ज कर पत्रावली का अवलोकन व परिशीलन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्राप्त आख्या में अवगत कराया गया कि प्रश्नगत उल्लिखित गाटा संख्या संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। उक्त गाटा संख्या के प्रश्नगत भाग पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है बल्कि आवासीय गतिविधियाँ प्रतीत होती हैं। अतः तहसीलदार मोहनलालगंज से प्राप्त आख्या के आधार पर भूमि गाटा सं० 1887/0.0130हे०, 1897/0.106, 1898/0.152हे०, 1962/0.164हे०, 1985/0.2610हे०, 2019/0.253हे० कुल 6 किता कुल रकबा 0.949हे० में से 0.8304हे० व गाटा सं० 1886/0.013हे०, व गाटा सं० 1896/0.152हे० कुल दो किता कुल रकबा 0.165हे० का 1/2 भाग रकबा 0.0825हे० व गाटा सं० 1888/0.051 सम्पूर्ण व गाटा सं० 1915/0.101हे० सम्पूर्ण व गाटा सं० 1978/0.076हे० सम्पूर्ण व गाटा सं० 1979/0.215हे० सम्पूर्ण व गाटा सं० 1949/0.025हे० सम्पूर्ण व गाटा सं० 1960/0.025हे० सम्पूर्ण 1963/0.025हे० सम्पूर्ण व गाटा सं० 1929/0.077हे०, 1933/0.125हे० दो किता रकबा 0.202हे० का 1/3 भाग रकबा 0.0674हे० व गाटा सं० 1918/0.190हे० सम्पूर्ण व गाटा सं० 1920/0.076हे०, 1921/0.076हे०, 1922/0.316हे० कुल तीन किता कुल रकबा 0.468हे० का 1/15 भाग रकबा 0.0312हे०, व गाटा सं० 1935/0.367हे०, 2018/0.038हे० का 2/9 भाग रकबा 0.090हे०, व गाटा सं० 1965/0.025हे० सम्पूर्ण 1977क/0.051हे०, सम्पूर्ण 2008/0.1070हे० सम्पूर्ण कुल आवेदित रकबा 1.9925हे० स्थित ग्राम- गौरा पर० व तह० मोहनलालगंज लखनऊ को अकृषिक घोषित किया जाना विधि संगत प्रतीत होता है परन्तु गू अपयोगिता की विधिमान्यता के सम्बन्ध में लखनऊ महायोजना 2021 के उपबन्ध प्रगारी होंगे जिसका सम्बन्ध लखनऊ विकास प्रधिकरण व शहरी नियोजन विभाग से है।

आदेश

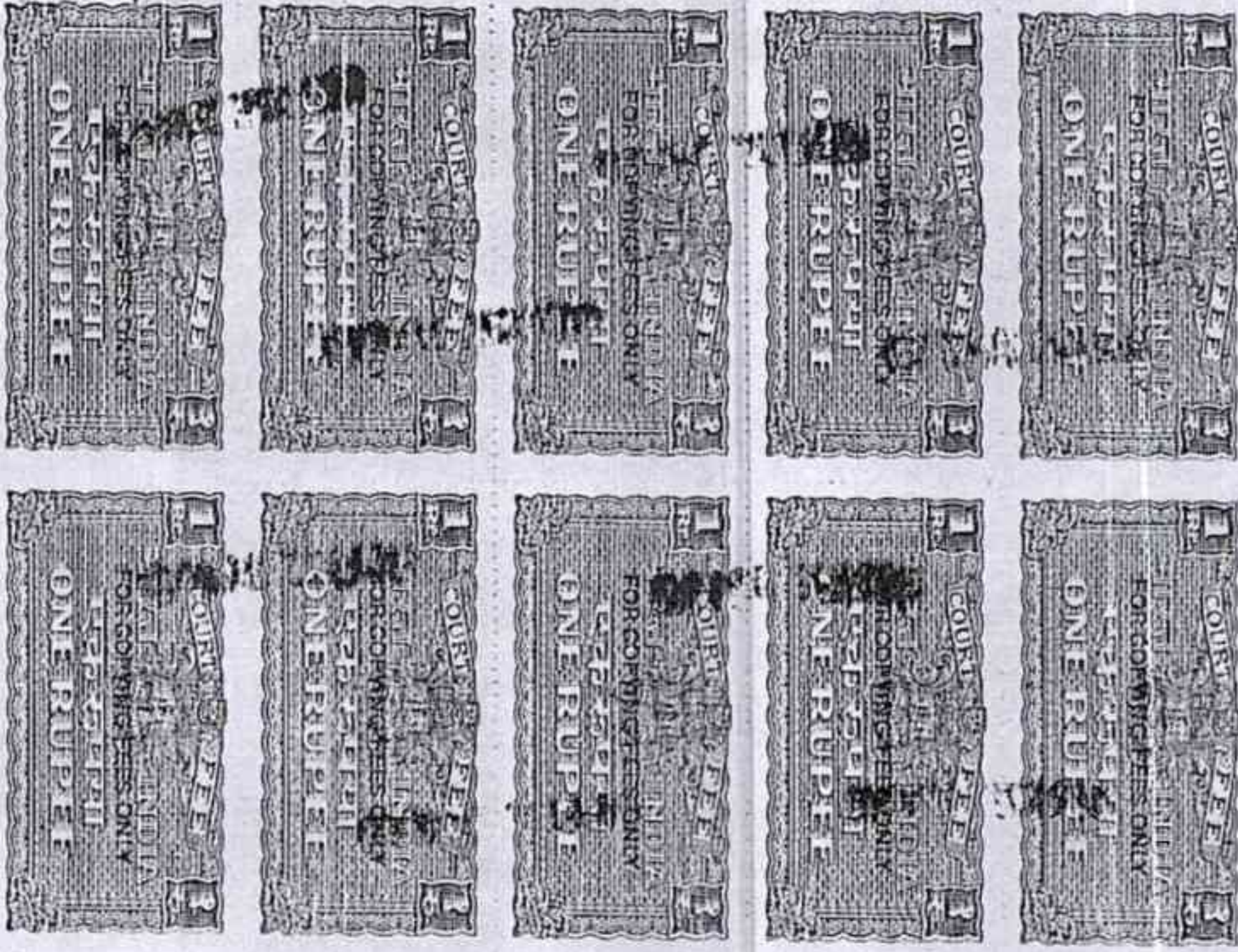
अतः तहसीलदार मोहनलालगंज से प्राप्त आख्या के आधार पर भूमि गाटा सं० 1887/0.0130हे०, 1897/0.106, 1898/0.152हे०, 1962/0.164हे०, 1985/0.2610हे०, 2019/0.253हे० कुल 6 किता कुल रकबा 0.949हे० में से 0.8304हे० व गाटा सं० 1886/0.013हे० व गाटा सं० 1896/0.152हे० कुल दो किता कुल रकबा 0.165हे० का 1/2 भाग रकबा 0.0825हे० व गाटा सं० 1888/0.051 सम्पूर्ण व गाटा सं० 1915/0.101हे० सम्पूर्ण व गाटा सं० 1978/0.076हे० सम्पूर्ण व गाटा सं० 1979/0.215हे० सम्पूर्ण व गाटा सं० 1949/0.025हे० सम्पूर्ण व गाटा सं० 1960/0.025हे० सम्पूर्ण 1963/0.025हे० सम्पूर्ण व गाटा सं० 1929/0.077हे०, 1933/0.125हे० दो किता रकबा 0.202हे० का 1/3 भाग रकबा 0.0674हे० व गाटा सं० 1918/0.190हे० सम्पूर्ण व गाटा सं० 1920/0.076हे०, 1921/0.076हे०, 1922/0.316हे० कुल तीन किता कुल रकबा 0.468हे० का 1/15 भाग रकबा 0.0312हे०, व गाटा सं० 1935/0.367हे०, 2018/0.038हे० का 2/9 भाग रकबा 0.090हे०, व गाटा सं० 1965/0.025हे० सम्पूर्ण 1977क/0.051हे०, सम्पूर्ण 2008/0.1070हे० सम्पूर्ण कुल आवेदित रकबा 1.9925हे० स्थित ग्राम- गौरा पर० व तह० मोहनलालगंज लखनऊ को मालगुजारी 60 ख से मुक्त करते हुए प्रश्नगत भूमि कृषि, मत्स्य, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि से गिन्न प्रयोजन में उपयोग किए जाने के कारण धारा-143ज०वि०अधि० के अन्तर्गत इस शर्त के साथ अकृषिक प्रख्यापित की जाती है कि यदि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि, मत्स्य, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि कृषि से सम्बन्धित कार्य हेतु भूमि का उपयोग किया जाता है तो धारा-143ज०वि०अधि० के अन्तर्गत तत्काल तहसीलदार अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे। आदेश की प्रति तहसीलदार मोहनलालगंज एवं उपनिबन्धक मोहनलालगंज को वास्ते आवश्यक कार्यवाही प्रेषित हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखागार हो।

15-9-14

अशिरस्टेन्ट कलेक्टर प्रथम श्रेणी, मोहनलालगंज, लखनऊ

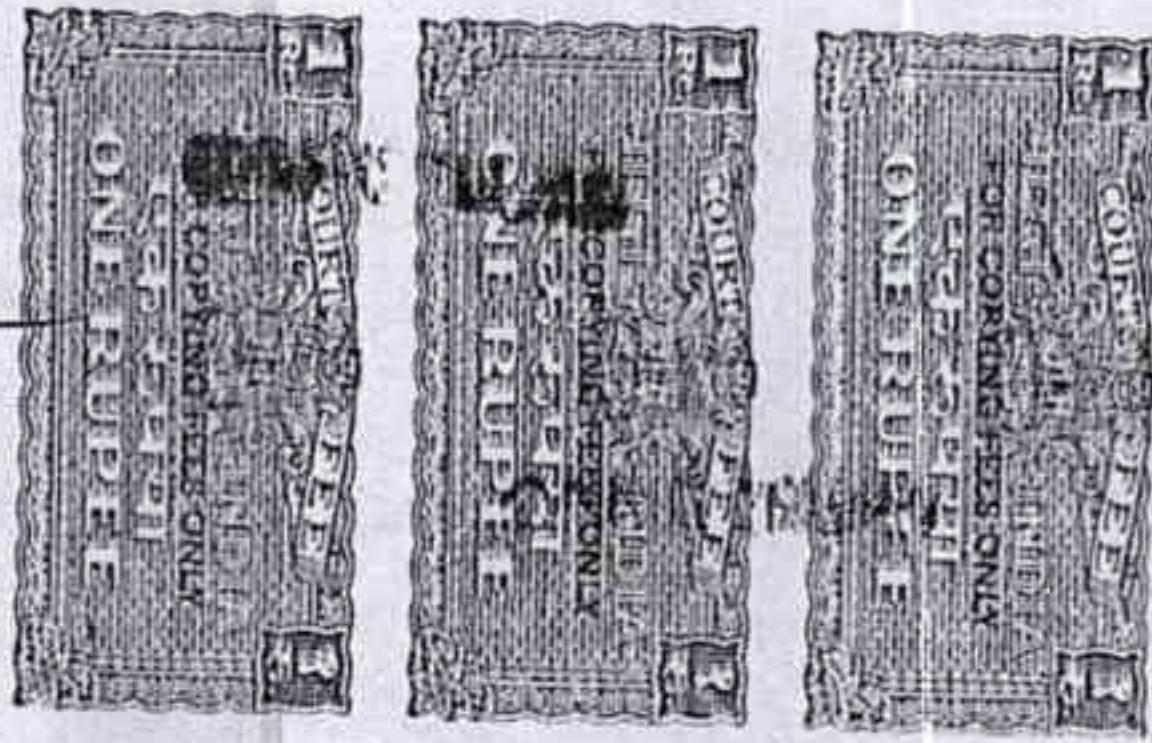
1. पत्रावली की तिथि 7-10-14
 2. भूमि पर पर सूचित कर की तिथि 7-10-14
 3. भूमि मूल्य की तिथि 7-10-14
 4. भूमि मूल्य 10.00
 5. (फोटो कापी)
 6. (फोटो कापी)
 7-10-14

1895



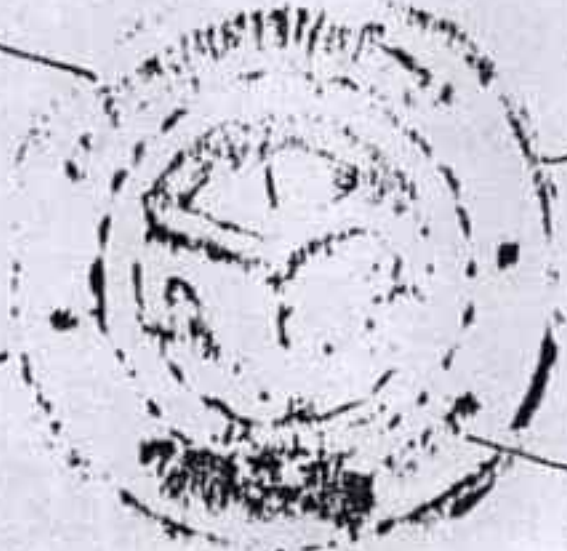
99
03-4-14

13
13.00



आमालम उपीजलाधिकारी भौदनलाल गंज, लखनऊ
नवल आदेश दिनांक- 01-2-14 वाद सं- 144/134
संजीवनी लेखक आ. लि. आदि खनाम सनदार-
धारा- 143 ज. वि. अधिनियम नाम- गौरा परगना
पतहसील- भौदनलाल गंज, लखनऊ

उभोगी परान्त प्रौढिमी निरस्त किया जाता है
प्रौढिमी संलग्न।



गायालय जसिस्टेन्ट कलेक्टर प्रथम श्रेणी, मोहनलालगंज, लखनऊ।

वाद संख्या- 144/13-14

संजीवनी लैंड फार्म प्रा० लि० आदिबनाम सरकार

धारा- 143 ज०वि०अधि०

ग्राम - गौरा

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही संजीवनी लैंड फार्म प्रा० लि० लखनऊ द्वारा निदेशकस्पर्शराज पुत्र संजय कुमार लि० मंसूरगंज जिला पटना सिटी, पटना हाल पता-1001 गिनार टावर, विमूतिखण्ड, गोमती नगर, लखनऊ एवं वेदान्त लैंड प्रा० लि० कार्यालय 82 विधानमण्डल इब्राहिमपुर नीलगथा लखनऊ के प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रारम्भ की गई। जिसमें अवगत कराया गया कि प्रार्थी के नाम भूमि गाटा संख्या-1900/0.2910हे०, 1916/0.1770हे०, 1999मि/0.0031हे०, 2000कमि/0.0064हे०, 1886मि/0.0065हे०, 1896मि/0.0760हे०, 1895मि/0.0985हे०, 1887मि/0.0016हे०, 1897मि/0.0133हे०, 1898मि/0.0190हे०, 1962मि/0.0205हे०, 1985मि/0.0326हे०, 2019मि/0.0316हे० कुल 13 किता रकबा 0.7771हे० स्थित ग्राम गौरा परगना व तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ पर खेती नहीं हो रही है। प्रार्थी की उक्त भूमि पर कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, बागवानी के उपयोग में नहीं लाई जा रही है बल्कि अन्य उपयोगिता में लाई जा रही है। प्रार्थी द्वारा भूमि गाटा संख्या-1900/0.2910हे०, 1916/0.1770हे०, 1999मि/0.0031हे०, 2000कमि/0.0064हे०, 1886मि/0.0065हे०, 1896मि/0.0760हे०, 1895मि/0.0985हे०, 1887मि/0.0016हे०, 1897मि/0.0133हे०, 1898मि/0.0190हे०, 1962मि/0.0205हे०, 1985मि/0.0326हे०, 2019मि/0.0316हे० कुल 13 किता रकबा 0.7771हे० स्थित ग्राम गौरा परगना व तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ को अकृषिक घोषित किए जाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर तहसीलदार मोहनलालगंज से प्राप्त आख्या दिनांक 03.08.2013 में अवगत कराया गया कि प्रश्नगत उल्लिखित गाटा संख्या संकमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। उक्त गाटा संख्या के प्रश्नगत भाग पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है प्लानिंग हेतु प्रस्तावित है। भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित महायोजना के अन्तर्गत नोटिफाइड ग्राम की नहीं है। उक्त गाटा संख्या के रकबे सरकारी भूमि नहीं है। सीमा सम्बन्धी विवाद नहीं है। भूमि का कोई वाद नहीं है। आख्या में भूमि गाटा संख्या-1900/0.2910हे०, 1916/0.1770हे०, 1999मि/0.0031हे०, 2000कमि/0.0064हे०, 1886मि/0.0065हे०, 1896मि/0.0760हे०, 1895मि/0.0985हे०, 1887मि/0.0016हे०, 1897मि/0.0133हे०, 1898मि/0.0190हे०, 1962मि/0.0205हे०, 1985मि/0.0326हे०, 2019मि/0.0316हे० कुल 13 किता रकबा 0.7771हे० स्थित ग्राम गौरा परगना व तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ को अकृषिक घोषित किए जाने हेतु आख्या प्रेषित की गई।

वाद दर्ज कर पत्रावली का अवलोकन व परिशीलन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्राप्त आख्या में अवगत कराया गया कि प्रश्नगत उल्लिखित गाटा संख्या संकमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। उक्त गाटा संख्या के प्रश्नगत भाग पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है प्लानिंग हेतु प्रस्तावित है। अतः तहसीलदार मोहनलालगंज से प्राप्त आख्या के आधार पर भूमि गाटा संख्या-1900/0.2910हे०, 1916/0.1770हे०, 1999मि/0.0031हे०, 2000कमि/0.0064हे०, 1886मि/0.0065हे०, 1896मि/0.0760हे०, 1895मि/0.0985हे०, 1887मि/0.0016हे०, 1897मि/0.0133हे०, 1898मि/0.0190हे०, 1962मि/0.0205हे०, 1985मि/0.0326हे०, 2019मि/0.0316हे०

16हे० कुल 13 किता रकवा 0.7771हे० स्थित ग्राम गौरा परगना व तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ को अकृषिक घोषित किया जाना विधि संगत प्रतीत होता है ।

आदेश

अतः तहसीलदार मोहनलालगंज की आख्या के आधार पर भूमि माटा संख्या-1900/0.910हे०, 1916/0.1770हे०, 1999भि/0.0031हे०, 2000कभि/0.0064हे०, 1886भि/0.0065हे०, 1896भि/0.0760हे०, 1895भि/0.0985हे०, 1887भि/0.0016हे०, 1897भि/0.0133हे०, 1898भि/0.0190हे०, 1962भि/0.0205हे०, 1985भि/0.0326हे०, 2019भि/0.0316हे० कुल 13 किता रकवा 0.7771हे० स्थित ग्राम गौरा परगना व तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ को मालगुजारी 60 ख से मुक्त करते हुए प्रशंगत भूमि कृषि, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि से भिन्न प्रयोजन में उपयोग किए जाने के कारण धारा-143ज०वि०अधि० के अन्तर्गत इस शर्त के साथ अकृषिक प्रख्यापित की जाती है कि यदि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि कृषि से सम्बन्धित कार्य हेतु भूमि का उपयोग किया जाता है तो धारा-144ज०वि० एवं भूव्य०अधि० के अन्तर्गत तत्काल तहसीलदार अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे । आदेश की प्रति तहसीलदार मोहनलालगंज एवं उपनिबन्धक मोहनलालगंज को वास्ते आवश्यक कार्यवाही प्रेषित हो । बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखागार हो ।

14-01-02-14

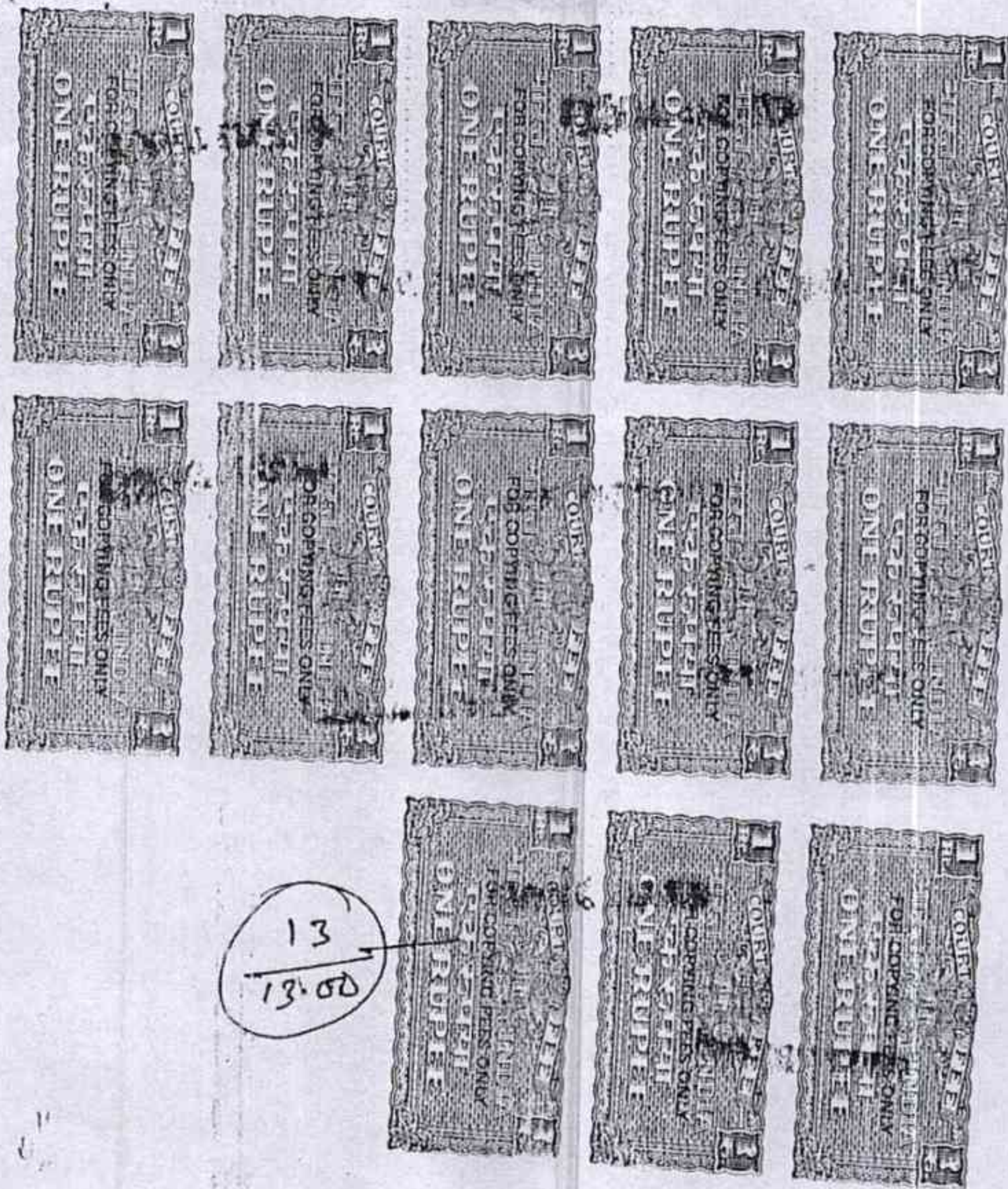
असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी, मोहनलालगंज, लखनऊ ।

3-4-14
3-4-14
3-4-14
13-00
पेटो-नो
3-4-14

अनामिका, जिलाधिकारी

3-4-14

मोहनलालगंज, लखनऊ



103
3-4-14

13
13.00

आमालम उपजिलाधिकारी श्रीहनलाल गंज, लखनऊ
नवल आदेश दिनांक-30-9-13 वाद सं-343/1213
राम प्रकाश बनाम सरकार द्वारा-143 जनवि० अधि०
ग्राम-गौरा परगना बतहसील-श्रीहनलाल गंज, लखनऊ
प्रयोगी परान्त पीलमो निरस्त विषय जाता है
प्रती व्यापक संलग्न।



न्यायालय असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी, मोहनलालगंज, लखनऊ।

वाद संख्या- 343/12-13

रामप्रवेश बनाम सरकार

धारा- 143 ज०वि०अधि०

ग्राम - गौरा

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही राम प्रवेश पुत्र स्व० लालधर नि० ई-1/800, रुचिखण्ड-11, शारदा नगर, लखनऊ के प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रारम्भ की गई। जिसमें अवगत कराया गया कि प्रार्थी के नाम भूमि गाटा संख्या- 1929/0.0770, 1933/0.1250 कुल दो किता रकबा 0.202हे० का 2/3भाग रकबा 0.1346हे०, गाटा संख्या-1894/0.1390हे०, 1899/0.0130हे०, 1970/0.0510हे०, 1971/0.1700हे० कुल 4 किता कुल रकबा 0.3730हे० का 1/भाग रकबा 0.1865, गाटा संख्या-1878/0.1340हे०, 1901/0.0760हे० कुल 2 किता कुल रकबा 0.2100 का 5/6भाग कुल रकबा 0.1750हे० गाटा संख्या-1935/0.3670हे०, गाटा संख्या-2018/0.0380हे० कुल 2 किता कुल रकबा 0.4050हे० का 7/9 भाग रकबा 0.3150हे० गाटा संख्या -1892/0.0890हे० का 2/3भाग रकबा 0.0593हे० व गाटा संख्या-1939/0.2400हे० में से रकबा 0.1900हे० व खसरा संख्या-1937/0.2840 का 1/2भाग रकबा 0.1420हे० कुल 13 किता रकबा 1.2024हे० स्थित ग्राम गौरा परगना व तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ पर खेती नहीं हो रही है। प्रार्थी की उक्त भूमि पर कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, बागवानी के उपयोग में नहीं लाई जा रही है बल्कि अन्य उपयोगिता में लाई जा रही है। प्रार्थी द्वारा भूमि गाटा संख्या- 1929/0.0770, 1933/0.1250 कुल दो किता रकबा 0.202हे० का 2/3भाग रकबा 0.1346हे०, गाटा संख्या-1894/0.1390हे०, 1899/0.0130हे०, 1970/0.0510हे०, 1971/0.1700हे० कुल 4 किता कुल रकबा 0.3730हे० का 1/भाग रकबा 0.1865, गाटा संख्या-1878/0.1340हे०, 1901/0.0760हे० कुल 2 किता कुल रकबा 0.2100 का 5/6भाग कुल रकबा 0.1750हे० गाटा संख्या-1935/0.3670हे०, गाटा संख्या-2018/0.0380हे० कुल 2 किता कुल रकबा 0.4050हे० का 7/9 भाग रकबा 0.3150हे० गाटा संख्या -1892/0.0890हे० का 2/3भाग रकबा 0.0593हे० व गाटा संख्या-1939/0.2400हे० में से रकबा 0.1900हे० व खसरा संख्या-1937/0.2840 का 1/2भाग रकबा 0.1420हे० कुल 13 किता रकबा 1.2024हे० स्थित ग्राम गौरा परगना व तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ को अकृषिक घोषित किए जाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर तहसीलदार मोहनलालगंज से प्राप्त आख्या दिनांक 03.08.2013 में अवगत कराया गया कि प्रश्नगत उल्लिखित गाटा संख्या संकमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। उक्त गाटा संख्या के प्रश्नगत भाग पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है प्लानिंग हेतु प्रस्तावित है। भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित महायोजना के अन्तर्गत नोटिफाइड ग्राम की नहीं है। उक्त गाटा संख्या के रकबे सरकारी भूमि नहीं है। सीमा सम्बन्धी विवाद नहीं है। भूमि का कोई वाद नहीं है। आख्या में भूमि गाटा संख्या- 1929/0.0770, 1933/0.1250 कुल दो किता रकबा 0.202हे० का 2/3भाग रकबा 0.1346हे०, गाटा संख्या-1894/0.

1390हे0,1899/0.0130हे0,1970/0.0510हे0,1971/0.1700हे0 कुल 4 किता कुल रकबा 0.3730हे0 का 1/भाग रकबा 0.1865 ,गाटा संख्या-1878/0.1340हे0,1901/0.0760हे0 कुल 2 किता कुल रकबा 0.2100 का 5/6भाग कुल रकबा 0.1750हे0 गाटा संख्या-1935/0.3670हे0,गाटा संख्या-2018/0.0380हे0 कुल 2 किता कुल रकबा 0.4050हे0 का 7/9 भाग रकबा 0.3150हे0 गाटा संख्या -1892/0.0890हे0 का 2/3भाग रकबा 0.0593हे0 व गाटा संख्या-1939/0.2400हे0 मे से रकबा 0.1900हे0 व खसरा संख्या-1937/0.2840 का 1/2भाग रकबा 0.1420हे0 कुल 13 किता रकबा 1.2024हे0 स्थित ग्राम गौरा परगना व तहसील मोहनलालगंज,लखनऊ को अकृषिक घोषित किए जाने हेतु आख्या प्रेषित की गई।

वाद दर्ज कर पत्रावली का अवलोकन व परिशीलन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्राप्त आख्या मे अवगत कराया गया कि प्रश्नगत उल्लिखित गाटा संख्या संकगणीय भूमिधर के रूप मे दर्ज है। उक्त गाटा संख्या के प्रश्नगत भाग पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है प्लाटिंग हेतु प्रस्तावित है। अतः तहसीलदार मोहनलालगंज से प्राप्त आख्या के आधार पर भूमि गाटा संख्या- 1929/0.0770,1933/0.1250 कुल दो किता रकबा 0.202हे0 का 2/3भाग रकबा 0.1346हे0, गाटा संख्या-1894/0.1390हे0,1899/0.0130हे0,1970/0.0510हे0,1971/0.1700हे0 कुल 4 किता कुल रकबा 0.3730हे0 का 1/भाग रकबा 0.1865 ,गाटा संख्या-1878/0.1340हे0,1901/0.0760हे0 कुल 2 किता कुल रकबा 0.2100 का 5/6भाग कुल रकबा 0.1750हे0 गाटा संख्या-1935/0.3670हे0,गाटा संख्या-2018/0.0380हे0 कुल 2 किता कुल रकबा 0.4050हे0 का 7/9 भाग रकबा 0.3150हे0 गाटा संख्या -1892/0.0890हे0 का 2/3भाग रकबा 0.0593हे0 व गाटा संख्या-1939/0.2400हे0 मे से रकबा 0.1900हे0 व खसरा संख्या-1937/0.2840 का 1/2भाग रकबा 0.1420हे0 कुल 13 किता रकबा 1.2024हे0 स्थित ग्राम गौरा परगना व तहसील मोहनलालगंज,लखनऊ को अकृषिक घोषित किया जाना विधि संगत प्रतीत होता है।

आदेश

अतः तहसीलदार मोहनलालगंज की आख्या के आधार पर भूमि गाटा संख्या- 1929/0.0770,1933/0.1250 कुल दो किता रकबा 0.202हे0 का 2/3भाग रकबा 0.1346हे0, गाटा संख्या-1894/0.1390हे0,1899/0.0130हे0,1970/0.0510हे0,1971/0.1700हे0 कुल 4 किता कुल रकबा 0.3730हे0 का 1/भाग रकबा 0.1865 ,गाटा संख्या-1878/0.1340हे0,1901/0.0760हे0 कुल 2 किता कुल रकबा 0.2100 का 5/6भाग कुल रकबा 0.1750हे0 गाटा संख्या-1935/0.3670हे0,गाटा संख्या-2018/0.0380हे0 कुल 2 किता कुल रकबा 0.4050हे0 का 7/9 भाग रकबा 0.3150हे0 गाटा संख्या -1892/0.0890हे0 का 2/3भाग रकबा 0.0593हे0 व गाटा संख्या-1939/0.2400हे0 मे से रकबा 0.1900हे0 व खसरा संख्या-1937/0.2840 का 1/2भाग रकबा 0.1420हे0 कुल 13 किता रकबा 1.2024हे0 स्थित ग्राम गौरा परगना व तहसील मोहनलालगंज,लखनऊ को मालगुजारी 60 ख से मुक्त करते हुए प्रश्नगत भूमि कृषि,मत्स्य पालन,कुक्कुट पालन,बागवानी आदि से भिन्न प्रयोजन मे उपयोग किए जाने के कारण धारा-143ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत इस शर्त के साथ अकृषिक प्रख्यापित की जाती है कि यदि भविष्य मे उक्त भूमि पर कृषि,मत्स्य पालन,कुक्कुट पालन,बागवानी आदि कृषि से सम्बन्धित कार्य



Handwritten signature or initials.

हेतु भूमि का उपयोग किया जाता है तो धारा-144ज0वि0 एवं भू0व्य0अधि0 के अन्तर्गत तत्काल तहसीलदार अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे । आदेश की प्रति तहसीलदार मोहनलालगंज एवं उपनिबन्धक मोहनलालगंज को वारं वार आवश्यक कार्यवाही प्रेषित हो । बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संघित अभिलेखागार हो ।

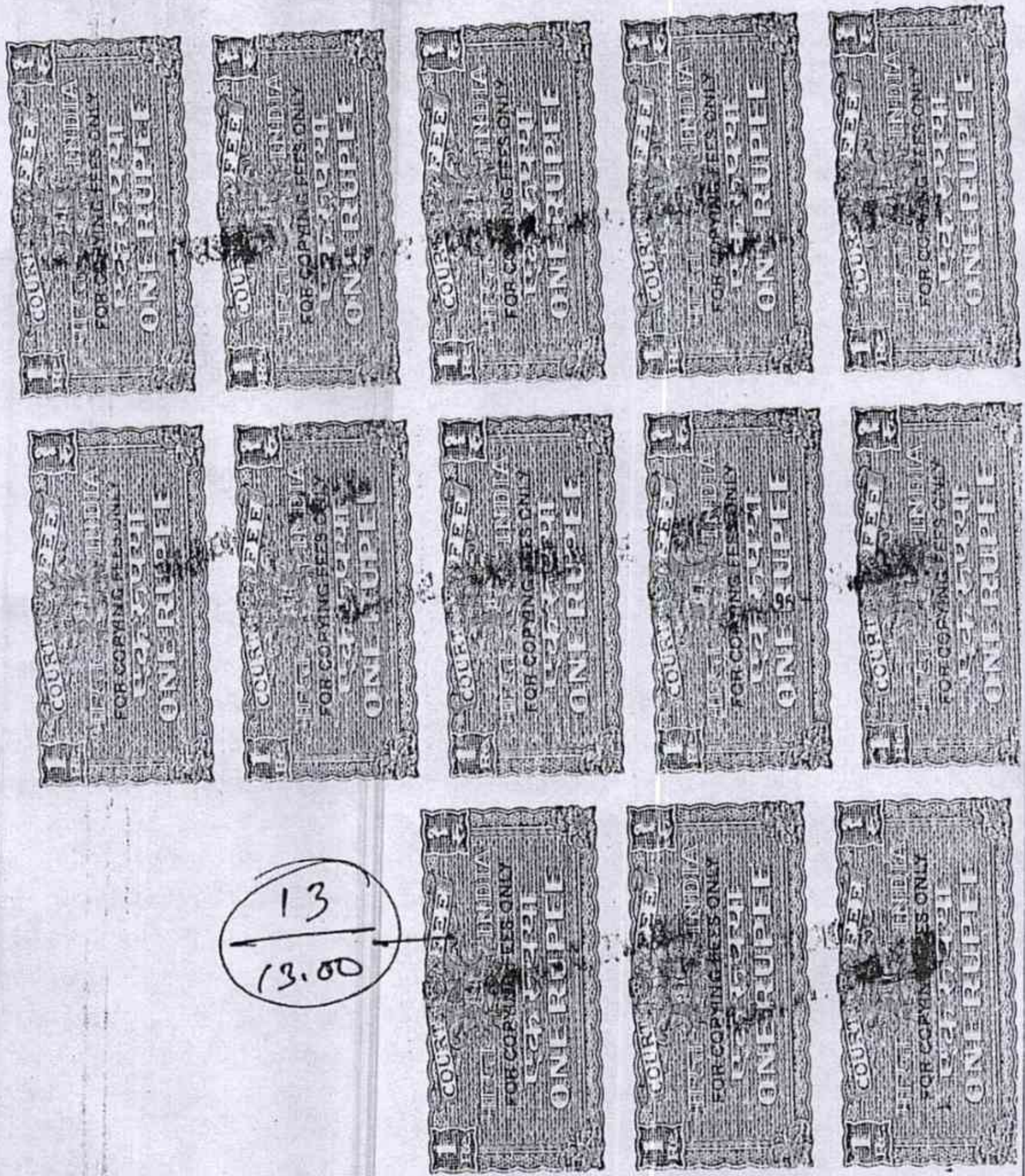
दिनांक : 30.09.13

असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी, मोहनलालगंज,
लखनऊ।



3/11/14
3/11/14
3/11/14
13.02
प्रो.लो.का.पि.
प्रो.लो.का.पि.
03-11-14

105
3-4-14



13
13.00

भा.मालम उपजिलाधिकारी मोहनलाल गंज, लखनऊ
नकल आदेश दिनांक- 19-9-13 वाद सं- 318/12.
राजपूत वंश नाम सरदार द्वारा- 143 जं.पि.
ग्राम- गौरा परगना बतहसील- मोहनलाल गंज, लखनऊ
उपभोगी परान्त पोलामी निरक्षर विद्या जात,
पोली व्यापी सलमन।



न्यायालय असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी, मोहनलालगंज, लखनऊ।

वाद संख्या-318/12-13

रामप्रवेश बनाम सरकार,

धारा-143 ज०वि०अधि०

ग्राम - गौरा

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही राम प्रवेश पुत्र स्व० लालधर नि० ई-1/800, रुचिखण्ड-11, शारदा नगर, लखनऊ के प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रारम्भ की गई। जिसमें अवगत कराया गया कि प्रार्थी के नाम भूमि गाटा संख्या- 1928/0.0950हे०, 1934/0.04450हे०, 1947/0.0130हे०, 1964/0.0760हे०, 1966/0.2300हे०, 1969/0.0630हे०, 1972/0.0152हे०, 1986/0.0510हे०, 1987/0.0520हे०, 2012/0.0890हे०, 2013/0.0130हे०, 2014/0.0380हे० कुल 12 किता कुल रकबा 1.3270हे०, गाटा संख्या-1930/0.0800हे०, 1931/0.0850हे० कुल 2 किता रकबा 0.1650हे०, गाटा संख्या-1876/0.076हे०, 1884/0.0510हे०, 1961/0.0710हे० कुल 17 किता रकबा 1.6900हे० स्थित ग्राम गौरा परगना व तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ पर खेती नहीं हो रही है। प्रार्थी की उक्त भूमि पर कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, बागवानी के उपयोग में नहीं लाई जा रही है बल्कि अन्य उपयोगिता में लाई जा रही है। प्रार्थी द्वारा भूमि गाटा संख्या- 1928/0.0950हे०, 1934/0.04450हे०, 1947/0.0130हे०, 1964/0.0760हे०, 1966/0.2300हे०, 1969/0.0630हे०, 1972/0.0152हे०, 1986/0.0510हे०, 1987/0.0520हे०, 2012/0.0890हे०, 2013/0.0130हे०, 2014/0.0380हे० कुल 12 किता कुल रकबा 1.3270हे०, गाटा संख्या-1930/0.0800हे०, 1931/0.0850हे० कुल 2 किता रकबा 0.1650हे०, गाटा संख्या-1876/0.076हे०, 1884/0.0510हे०, 1961/0.0710हे० कुल 17 किता रकबा 1.6900हे० स्थित ग्राम गौरा परगना व तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ को अकृषिक घोषित किए जाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर तहसीलदार मोहनलालगंज से प्राप्त आख्या दिनांक 03.08.2013 में अवगत कराया गया कि प्रश्नगत उल्लिखित गाटा संख्या संकमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। उक्त गाटा संख्या के प्रश्नगत भाग पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है प्लांटिंग हेतु प्रस्तावित है। भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित महायोजना के अन्तर्गत नोटिफाइड भाग की नहीं है। उक्त गाटा संख्या के रकबे सरकारी भूमि नहीं है। सीमा सम्बन्धी विवाद नहीं है। भूमि का कोई वाद नहीं है। आख्या में भूमि गाटा संख्या- 1928/0.0950हे०, 1934/0.04450हे०, 1947/0.0130हे०, 1964/0.0760हे०, 1966/0.2300हे०, 1969/0.0630हे०, 1972/0.0152हे०, 1986/0.0510हे०, 1987/0.0520हे०, 2012/0.0890हे०, 2013/0.0130हे०, 2014/0.0380हे० कुल 12 किता कुल रकबा 1.3270हे०, गाटा संख्या-1930/0.0800हे०, 1931/0.0850हे० कुल 2 किता रकबा 0.1650हे०, गाटा संख्या-1876/0.076हे०, 1961/0.0710हे० कुल 17 किता रकबा 1.6900हे०



वाद दर्ज कर पत्रावली का अवलोकन व परिशीलन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्राप्त आख्या में अवगत कराया गया कि प्रश्नगत उल्लिखित गाटा संख्या संकमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। उक्त गाटा संख्या के प्रश्नगत भाग पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है प्लांटिंग हेतु प्रस्तावित है। अतः तहसीलदार मोहनलालगंज से प्राप्त आख्या के आधार पर भूमि गाटा संख्या— 1928/0.0950हे0, 1934/0.0445हे0, 1947/0.0130हे0, 1964/0.0760हे0, 1966/0.2300हे0, 1969/0.0630हे0, 1972/0.0152 हे0, 1986/0.0510हे0, 1987/0.0520हे0, 2012/0.0890हे0, 2013/0.0130हे0, 2014/0.0380हे0, कुल 12 कित्ता कुल रकबा 1.3270हे0, गाटा संख्या—1930/0.0800हे0, 1931/0.0850हे0 कुल 2 कित्ता रकबा 0.1650हे0, गाटा संख्या—1876/0.076हे0, 1961/0.0710हे0 कुल 16 कित्ता रकबा 1.6390हे0 स्थित ग्राम गौरा परगना व तहसील मोहनलालगंज, लखनऊको अकृषिक घोषित किया जाना विधि संगत प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार मोहनलालगंज की आख्या के आधार पर भूमि गाटा संख्या- 1928/0.0950हे0,1934/0.0445हे0,1947/0.0130हे0,1964/0.0760हे0,1966/0.2300हे0,1969/0.0630हे0,1972/0.0152हे0, 1986/0.0510हे0, 1987/0.0520हे0, 2012/0.0890हे0,2013/0.0130हे0,2014/0.0380हे0 कुल 12 किता कुल रकबा 1.3270हे0 गाटा संख्या-1930/0.0800हे0,1931/0.0850हे0 कुल 2 किता रकबा 0.1650हे0,गाटा संख्या-1876/0.076हे0,1961/0.0710हे0 कुल 16 किता रकबा 1.6390हे0 स्थित ग्राम गौरा परगना व तहसील मोहनलालगंज,लखनऊ को मालगुजारी 60 ख से मुक्त करते हुए प्रश्नगत भूमि कृषि,मत्स्य पालन,कुक्कुट पालन,बागवानी आदि से गिन्न प्रयोजन में उपयोग किए जाने के कारण धारा-143ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत इस शर्त के साथ अकृषिक प्रख्यापित की जाती है कि यदि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि,मत्स्य पालन,कुक्कुट पालन,बागवानी आदि कृषि से सम्बन्धित कार्य हेतु भूमि का उपयोग किया जाता है तो धारा-144ज0वि0 एवं गू0व्य0अधि0 के अन्तर्गत तत्काल तहसीलदार अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे । आदेश की-प्रति तहसीलदार मोहनलालगंज एवं उपनिबन्धक मोहनलालगंज को वारन्ते आवश्यक कार्यवाही प्रेषित हो । बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संवित अभिलेखागार हो ।

दिनांक: 19.09.13

03-4-141

असिस्टेंट कलेक्टर पथान श्रेणी, मोहनलालगंज,
लखनऊ।

03-44-141

50. ... 43.4 = 1.4

७३-४-१५...

自 1988 年 13.62 1990 年 1991 年

and in the same way, the other two

हलका

[illegible]

• 1. संज्ञा - व्यक्ति वस्तु पदार्थ वर्णन

02-4-14

4. 10. 1948

2

Feb 10 1937

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$





न्यायालय- उपजिलाधिकारी

जनपद - लखनऊ, तहसील - मोहनलालगंज

कंप्यूटरीकृत संख्या :- T802026003598

आवेदक का नाम :- लल्ला

अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 10/02/2026

आदेश

प्रार्थी लल्ला पुत्र श्री राम सनेही निवासी ग्राम म0नं0 490 करीमाबाद मलौली तहसील नवाबगंज, जिला बाराबंकी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 का संज्ञान लेकर प्रकरण की जांच तहसीलदार मोहनलालगंज जिला लखनऊ के माध्यम से करायी गयी।

तहसीलदार मोहनलालगंज जनपद लखनऊ की निर्धारित प्रारूप पर जांच आख्या पत्रावलित हुई। जिसमें यह पाया गया कि खाता संख्या-00204 पर अंकित गाटा संख्या-1899 रकबा-0.0760हे. में से रकबा-0.0695हे. मालगुजारी स्थित ग्राम गौरा परगना व तहसील मोहनलालगंज जनपद लखनऊ पर उपरोक्त प्रार्थी का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। प्रश्नगत भूमि पर कृषि कार्य से सम्बन्धित जैसे कृषि बागवानी, पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य संबर्द्धन तथा कुक्कुट पालन आदि कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, आस-पास आवासीय गतिविधिया विद्यमान है। फोटो ग्राफ्स संलग्न है। उक्त भूमि लखनऊ महानगर योजना के अन्तर्गत ग्राम की है अन्य किसी भी योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित नहीं है। अतः उक्त भूमि को धारा-80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किए जाने हेतु आख्या प्रेषित की गयी है।

तहसीलदार मोहनलालगंज लखनऊ की उक्त आख्या से संतुष्ट होने के पश्चात् वाद दर्ज रजिस्टर कर " राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-20.2024/402/एक-2024-1-1099/3514/2020-रा0-1 दिनांक 17.05.2024 के शासनादेश के बिन्दु संख्या-2 में उल्लिखित है कि धारा-80 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के संबंध में यह भी अवगत कराना है कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, नगर विकास विभाग तथा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग की अनापत्ति हेतु 30 दिन की समय सीमा निर्धारित की गयी है। यदि 30 दिन के भीतर आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो इसे डीमड टू नो आब्जेक्शन मान कर निस्तारित कर दिया जाएगा" के अन्तर्गत लखनऊ



विकास प्राधिकरण को नियमानुसार नोटिस जारी की गयी, जिस पर अब तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

आवेदक द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में ग्राम गौरा की उद्धरण खतौनी वर्ष 1429 से 1434 फसली के खाता संख्या-00204, की प्रति इसके अतिरिक्त नियमानुसार निर्धारित शुल्क/न्याय शुल्क आन लाईन जनरेट निर्धारित शुल्क-2621.50रू/-के सापेक्ष आनलाईन चालान संख्या आर0ए0जे0 260010085 शुल्क 2622.00रू./जमा किया गया।

मैने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों/साक्ष्यों एवं तहसीलदार की आख्या का सम्यक अवलोकन व परिशीलन किया। जिससे स्पष्ट है कि वर्तमान में प्रश्नगत भूमि पर कृषि से सम्बन्धित कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, ऐसी दशा में प्रश्नगत भूमि को कृषि बागवानी, पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य संबर्द्धन तथा कुक्कुट पालन नहीं हो रहा है को अकृषिक घोषित किए जाने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार मोहनलालगंज की आख्या दिनांक 02.02.2026 स्वीकार की जाती है। आवेदक लल्ला पुत्र श्री राम सनेही निवासी ग्राम म0नं0 490 करीमाबाद मलौली तहसील नवाबगंज, जिला बाराबंकी के आराजी मौजा ग्राम गौरा की खतौनी वर्ष 1429 से 1434 फसली में स्थित आराजी खाता संख्या-00204 पर अंकित गाटा संख्या-1899 रकबा-0.0760 हे. में से रकबा-0.0695हे. को आराजी (भूमि) को उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 की धारा-80(2) में उल्लिखित शर्तों के अधीन उक्त भूमि का प्रयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिये किया जाता है। इस उपधारा के अधीन घोषणा, भू-उपयोग परिवर्तन की कोटि में नहीं होगी और उक्त भूमि निरन्तर कृषि भूमि के रूप में ही समझी जायेगी। तथापि भूमिधर ऐसी जोत या उसके आंशिक भाग, जिसके लिए इस उपधारा के अधीन घोषणा प्राप्त की गयी हो, पर प्रस्तावित गतिविधि अथवा परियोजना के ऋण और अन्य आवश्यक अनुज्ञाएं, समाशोधन आदि प्राप्त करने का हकदार होगा, यदि प्रस्तावित गाटों का कोई भी अंश भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में है, वह अंश इस आदेश से मुक्त रहेगा। तहसीलदार मोहनलालगंज की आख्या पारित आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। यह घोषणा केवल राजस्व की दृष्टि से की जा रही है, अन्य अधिनियमों एवं मास्टर प्लान पर उसका प्रभाव नहीं होगा। इस भूमि का प्रयोग एवं इस पर निर्माण लखनऊ विकास क्षेत्र महायोजना-2031 के अनुसार ही अनुमन्य होगा। यदि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि, मत्स्य, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि से सम्बन्धित कार्य हेतु भूमि



का उपयोग किया जाता है तो धारा-82 उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत तहसीलदार तत्काल अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्य यदि कभी भी संज्ञान में आने पर अविधिक एवं फर्जी पाये जाते हैं तो यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। अभिलेखों में अमल-दरामद हेतु आदेश की एक प्रति तहसीलदार मोहनलालगंज, लखनऊ को व एक प्रति उप निबन्धक, मोहनलालगंज को भेजी जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उपजिलाधिकारी
मोहनलालगंज लखनऊ

Digitally Signed by:

PAWAN PATEL

उपजिलाधिकारी

दिनांक समय: 10-02-2026 08:25:13 PM



1
10.00/-

931
13-2-17

भोपाल उपनिवेशकारी मोहन लाल गंज लखनऊ —
मकल आदेश दि० 13-2-17 वाद से०-128/16-17 लखनऊ
बंगाल सरकार द्वारा-४० रा० से० २००६ भाम-गौरा—
तहसील मोहन लाल गंज लखनऊ —
उद्योगोपरान्त जैलियो बिरस्त किया जाता है जैलियो का पीर सख्त न

ग्राम- गौरा

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही लल्ला पुत्र रामसनेही निवासी 490 करीगाबाद मलौली तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी व छंगा पुत्र मैकू व श्रीमती श्यामादेवी पत्नी स्व० मैकू निवासी ग्राम गौरा परगना व तहसील मोहनलालगंज व श्रीकेशन व चेताराम पुत्रगण नान्हु निवासीगण ग्राम गौरा परगना व तहसील मोहनलालगंज लखनऊ के प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रारम्भ की गई। जिससे अवगत कराया गया कि वादीय भूमि गाटा संख्या 1894/0.139हे० व 1970/0.051हे० व 1971/0.170हे० कुल 3 किता रकबा 0.360हे० का 1/2 भाग रकबा 0.180हे० व 1968घ/0.059हे० सम्पूर्ण व 1968ग/0.034हे० सम्पूर्ण कुल रकबा 0.273हे० स्थित ग्राम गौरा परगना व तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ का वैयक्तिक भूमिधर मालिक कागिल व काबिज है। जिस पर खेती नहीं हो रही है। प्रार्थी की उक्त भूमि पर कुम्हट पालन, मत्स्य पालन बागवानी के उपयोग में नहीं लाई जा रही है। प्रार्थी द्वारा वादीय भूमि गाटा संख्या— 1894/0.139हे० व 1970/0.051हे० व 1971/0.170हे० कुल 3 किता रकबा 0.360हे० का 1/2 भाग रकबा 0.180हे० व 1968घ/0.059हे० सम्पूर्ण व 1968ग/0.034हे० सम्पूर्ण कुल रकबा 0.273हे० स्थित ग्राम गौरा परगना व तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ को अकृषिक घोषित किए जाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार मोहनलालगंज से आख्या प्राप्त की गई। तहसीलदार मोहनलालगंज द्वारा अपनी आख्या में अवगत कराया गया कि प्रश्नगत वादीय भूमि गाटा संख्या— 1894/0.139हे० व 1970/0.051हे० व 1971/0.170हे० कुल 3 किता रकबा 0.360हे० का 1/2 भाग रकबा 0.180हे० व 1968घ/0.059हे० सम्पूर्ण व 1968ग/0.034हे० सम्पूर्ण कुल रकबा 0.273हे० स्थित ग्राम गौरा परगना व तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ का वादी संकमणीय भूमिघर के रूप में दर्ज है। उक्त गाटा संख्या के प्रश्नगत भाग पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। गाँके पर निर्माण कार्य हो रहा है। भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित महायोजना के अन्तर्गत नॉन्-फाइंड ग्राम की नहीं है। आख्या में वादीय भूमि गाटा संख्या— 1894/0.139हे० व 1970/0.051हे० व 1971/0.170हे० कुल 3 किता रकबा 0.360हे० का 1/2 भाग रकबा 0.180हे० व 1968घ/0.059हे० सम्पूर्ण व 1968ग/0.034हे० सम्पूर्ण कुल रकबा 0.273हे० स्थित ग्राम गौरा परगना व तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ को अकृषिक घोषित किए जाने हेतु आख्या प्रेषित की गई।

वाद दर्ज कर पक्षों को नोटिस निर्गत की गई। पत्रावली का अवलोकन व परिशीलन किया गया। प्रश्नगत उल्लिखित नाट्य संख्या संकम्पीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। २०२० राजस्व संहिता नियमावली २०१६ के नियम ८५(२) "आवेदक उदघोषणा शुल्क की आवश्यक रकम जमा करेगा जो एक सम्बन्धित जिले के कलेक्टर द्वारा कृषि प्रयोजन के लिए निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार आगणित रकम का एक प्रतिशत अथवा समय समय पर राज्य सरकार द्वारा नियत दर के अनुसार होगा।" के अनुपालन में प्रार्थी द्वारा रूपया जमा किया गया। अतः तहसीलदार मोहनलालगंज से प्राप्त आख्या के आधार पर वादीय भूमि गाटा संख्या— १८९४/०.१३९हे० व १९७०/०.०५१हे० व १९७१/०.१७०हे० कुल ३ कित्ता रकबा ०.३६०हे० का १/२ भाग रकबा ०.१८०हे० व १९६८घ/०.०५९हे० सम्पूर्ण व १९६८ग/०.०३४हे० सम्पूर्ण कुल रकबा ०.२७३हे० स्थित ग्राम गौरा परगना व तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ को अकृषिक घोषित किया जाना विधि संगत प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीय भूमि गाटा संख्या- 1894/0.139हे० व 1970/0.051हे० व 1971/0.170हे० कुल 3 कित्ता रकबा 0.360हे० का 1/2 भाग रकबा 0.180हे० व 1968घ/0.059हे० सम्पूर्ण व 1968ग/0.034हे० सम्पूर्ण कुल रकबा 0.273हे० स्थित ग्राम गौरा परगना व तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ को मालगुजारी 60 ख से मुक्त करते हुए प्रश्नगत भूमि को कृषि प्रयोजन से गिन्न प्रयोजन की भूमि (अकृषिक) घोषित किया जाता है। यह घोषणा राजस्व की दृष्टि से की जा रही है। अन्य अधिनियमों एवं मास्टर प्लान चर्चाका प्रभाव नहीं होगा। इस भूमि का प्रयोग एवं इस पर निर्माण लखनऊ विकास क्षेत्र महायोजना 2021 के अनुसार ही अनुमत्त होगा। यदि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि कृषि से सम्बन्धित कार्य हेतु भूमि का उपयोग किया जाना है तो धारा-82उ0प्र0राजस्वसंहिता अधि० के अन्तर्गत तत्काल तहसीलदार अपनी भूमि प्रस्तुत करेंगे। मेखपाल की अध्यक्षता में नजरी नक्शा आदेश का अंग रहेगी। तहसीलदार मोहनलालगंज का आदेश को प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उससे संबंधित खाते/गाटे के सम्बन्ध में एक नक्शा नजरी तैयार कराकर अभिलेखों के साथ रखवाये जिसमें उन गाटों को जो कृषि, बागवानी या पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य पालन एवं कुक्कुट पालन के प्रयोजनों के लिए काम में नहीं लाये जा रहे हैं, अलग-अलग रंगों में दर्शाये। खाते में प्रत्येक भाग के लिए देय मालगुजारी का भी विभाजन किया जाये कि वर्तमान पैगाइशी नक्शों और भूमि के वास्तविक उपयोग के आधार पर उक्त प्रख्यापित भाग की हदबन्दी करायें। हदबन्दी का खर्चा आवेदक संकमणीय भूमिधर से नियत मद में जमा कोष करवाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संश्लेष अभिलेखानुसार हो।

इति १७ वर शुद्धि रा नृपति को तिथि ३२=१७

प्रातिपदिके येने ली प्रातिपदिके 13-9-17 असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी, मोहनलालगंज

मार्ग 10-85/7 लखनऊ

१ विद्येति प्रथमे सूत्रम्

इ.स. १९४८ का क्या है?

अथवा यिदं ब्रह्मोत्पत्तिः

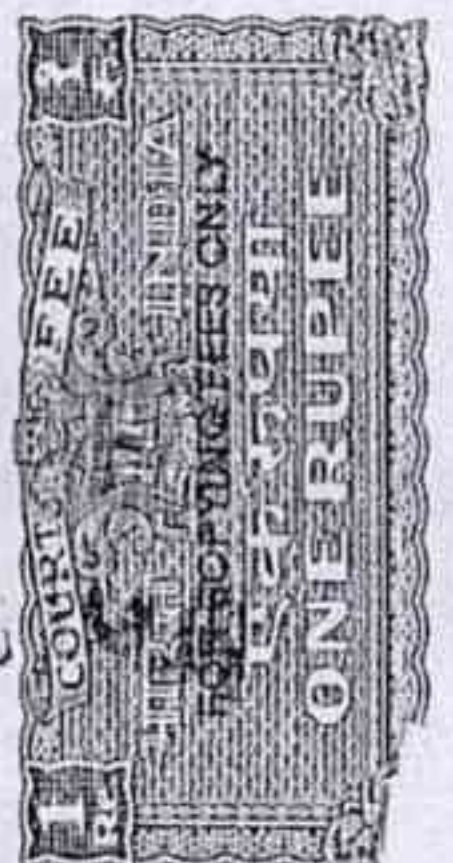
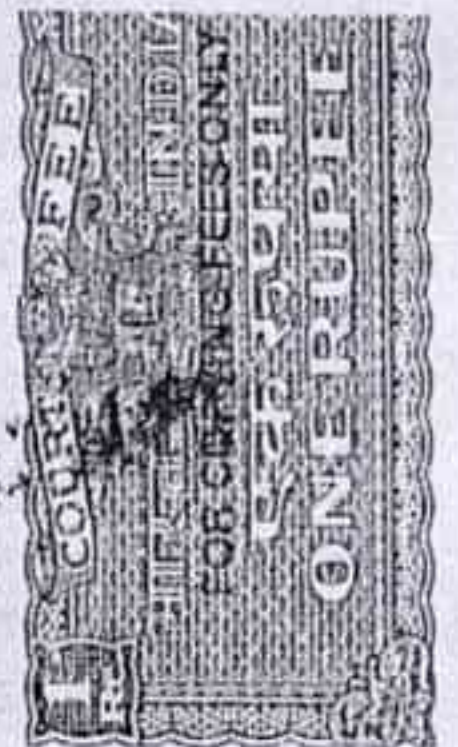
13, 02, 2017

481-51

पु. वि. शा. वि. क. वि. / २३५०००००

98
3-4-14

13
13.00



भोपालम उपजलाधिकारी मोहनलाल गंज, लखनऊ
नवल आदेश दिनांक-19-9-13 पादसं-320/12-13
मैलाश-चन्द्र बनाम सरकार द्वारा-143 जनवि. अ.
ग्राम-गौरा परगना बतहसील-मोहनलाल गंज, लखनऊ
प्रयोगपरान्त प्रौढिभी निरस्त किया जाता है
प्रौढिभी सिलवना।



न्यायालय असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी, मोहनलालगंज, लखनऊ।

वाद संख्या-320 / 12-13

कैलाश चन्द्र बनाम सरकार

धारा- 143 ज०वि०अधि०

ग्राम-गौरा

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही कैलाश चन्द्र पुत्र राम स्वरूप नि० आर०एस० 11/201, टिकैतराय तालाब राजाजीपुरम, लखनऊ के प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रारम्भ की गई। जिसमें अवगत कराया गया कि प्रार्थी के नाम भूमि माटा संख्या- 1937/0.2840हे० का 1/2 भाग रकबा 0.1420हे० एवं माटा संख्या-1920/0.0760हे०, माटा संख्या-1921/0.0760हे०, माटा संख्या-1922/0.3160हे० कुल 3 किता रकबा 0.4680हे० का 1/3भाग रकबा 0.1560हे० एवं माटा संख्या-1873/0.0490हे०, 1875/0.0101हे०, 1879/0.0760हे० कुल 3 किता रकबा 0.2260हे० का 7/8भाग रकबा 0.19775हे०, कुल 7 किता रकबा 0.49575हे०, स्थित ग्राम गौरा परगना व तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ पर खेती नहीं हो रही है। प्रार्थी की उक्त भूमि पर कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, बागवानी के उपयोग में नहीं लाई जा रही है बल्कि अन्य उपयोगिता में लाई जा रही है। प्रार्थी द्वारा भूमि माटा संख्या- 1937/0.2840हे० का 1/2 भाग रकबा 0.1420हे०, एवं माटा संख्या-1920/0.0760हे०, माटा संख्या-1921/0.0760हे०, माटा संख्या-1922/0.3160हे० कुल 3 किता रकबा 0.4680हे० का 1/3भाग रकबा 0.1560हे० एवं माटा संख्या-1873/0.0490हे०, 1875/0.0101हे०, 1879/0.0760हे० कुल 3 किता रकबा 0.2260हे० का 7/8भाग रकबा 0.19775हे० कुल 7 किता रकबा 0.49575हे० स्थित ग्राम गौरा परगना व तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ को अकृषिक घोषित किए जाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर तहसीलदार मोहनलालगंज से प्राप्त आख्या दिनांक 03.08.2013 में अवगत कराया गया कि प्रश्नगत उल्लिखित माटा संख्या संकगणीय भूमि पर के रूप में दर्ज है। उक्त माटा संख्या के प्रश्नगत भाग पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है प्लांटिंग का कार्य प्रस्तावित है। भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित महायोजना के अन्तर्गत नोटिफाइड ग्राम की नहीं है। उक्त माटा संख्या के रकबे सरकारी भूमि नहीं है। सीमा सम्बन्धी विवाद नहीं है। भूमि पर कोई वाद नहीं है। आख्या में भूमि माटा संख्या- 1937/0.2840हे० का 1/2 भाग रकबा 0.1420हे०, एवं माटा संख्या-1920/0.0760हे०, माटा संख्या-1921/0.0760हे०, माटा संख्या-1922/0.3160हे० कुल 3 किता रकबा 0.4680हे० का 1/3भाग रकबा 0.1560हे० एवं माटा संख्या-1873/0.0490हे०, 1875/0.0101हे०, 1879/0.0760हे० कुल 3 किता रकबा 0.2260हे० का 7/8भाग रकबा 0.19775हे० कुल 7 किता रकबा 0.49575हे० स्थित ग्राम गौरा परगना व तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ को अकृषिक घोषित किए जाने का अनुरोध किया गया।



बाद दर्ज कर पत्रावली का अवलोकन व परिशीलन किया गया। बादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्राप्त आख्या में अवगत कराया गया कि प्रश्नगत उल्लिखित गाटा संख्या संकमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। उक्त गाटा संख्या के प्रश्नगत भाग पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है प्लाटिंग हेतु प्रस्तावित है। अतः तहसीलदार मोहनलालगंज से प्राप्त आख्या के आधार पर भूमि गाटा संख्या- 1937/0.2840हे0 का 1/2 भाग रकबा 0.1420हे0, एवं गाटा संख्या-1920/0.0760हे0, गाटा संख्या-1921/0.0760हे0, गाटा संख्या-1922/0.3160हे0 कुल 3 किता रकबा 0.4680हे0 का 1/3भाग रकबा 0.1560हे0 एवं गाटा संख्या-1873/0.0490हे0, 1875/0.0101हे0, 1879/0.0760हे0 कुल 3 किता रकबा 0.2260हे0 का 7/8भाग रकबा 0.19775हे0 कुल 7 किता रकबा 0.49575हे0 स्थित ग्राम गौरा परगना व तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ को अकृषिक घोषित किया जाना विधि संगत प्रतीत होता है।

आदेश

अतः तहसीलदार मोहनलालगंज की आख्या के आधार पर भूमि गाटा संख्या- 1937/0.2840हे0 का 1/2 भाग रकबा 0.1420हे0, एवं गाटा संख्या-1920/0.0760हे0, गाटा संख्या-1921/0.0760हे0, गाटा संख्या-1922/0.3160हे0 कुल 3 किता रकबा 0.4680हे0 का 1/3भाग रकबा 0.1560हे0 एवं गाटा संख्या-1873/0.0490हे0, 1875/0.0101हे0, 1879/0.0760हे0 कुल 3 किता रकबा 0.2260हे0 का 7/8भाग रकबा 0.19775हे0 कुल 7 किता रकबा 0.49575हे0 स्थित ग्राम गौरा परगना व तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ को मालगुजारी 60 ख से मुक्त करते हुए प्रश्नगत भूमि कृषि, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि से भिन्न प्रयोजन में उपयोग किए जाने के कारण धारा-143जं0वि0अधि0 के अन्तर्गत इस शर्त के साथ अकृषिक प्रख्यापित की जाती है कि यदि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि कृषि से सम्बन्धित कार्य हेतु भूमि का उपयोग किया जाता है तो धारा-144जं0वि0 एवं भू0व्य0अधि0 के अन्तर्गत तत्काल तहसीलदार अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे। आदेश की प्रति तहसीलदार मोहनलालगंज एवं उपनिबन्धक मोहनलालगंज को वारंते आवश्यक कार्यवाही प्रेषित हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संघित अभिलेखागार हो।

दिनांक : 19-09-13

3-4-14

31/4/14

31/4/14

13-00

जोहो बाप

जोहो बाप

जोहो बाप

जोहो बाप

जोहो बाप

जोहो बाप

जोहो बाप

जोहो बाप

जोहो बाप

जोहो बाप

जोहो बाप

जोहो बाप

असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी, मोहनलालगंज, लखनऊ।



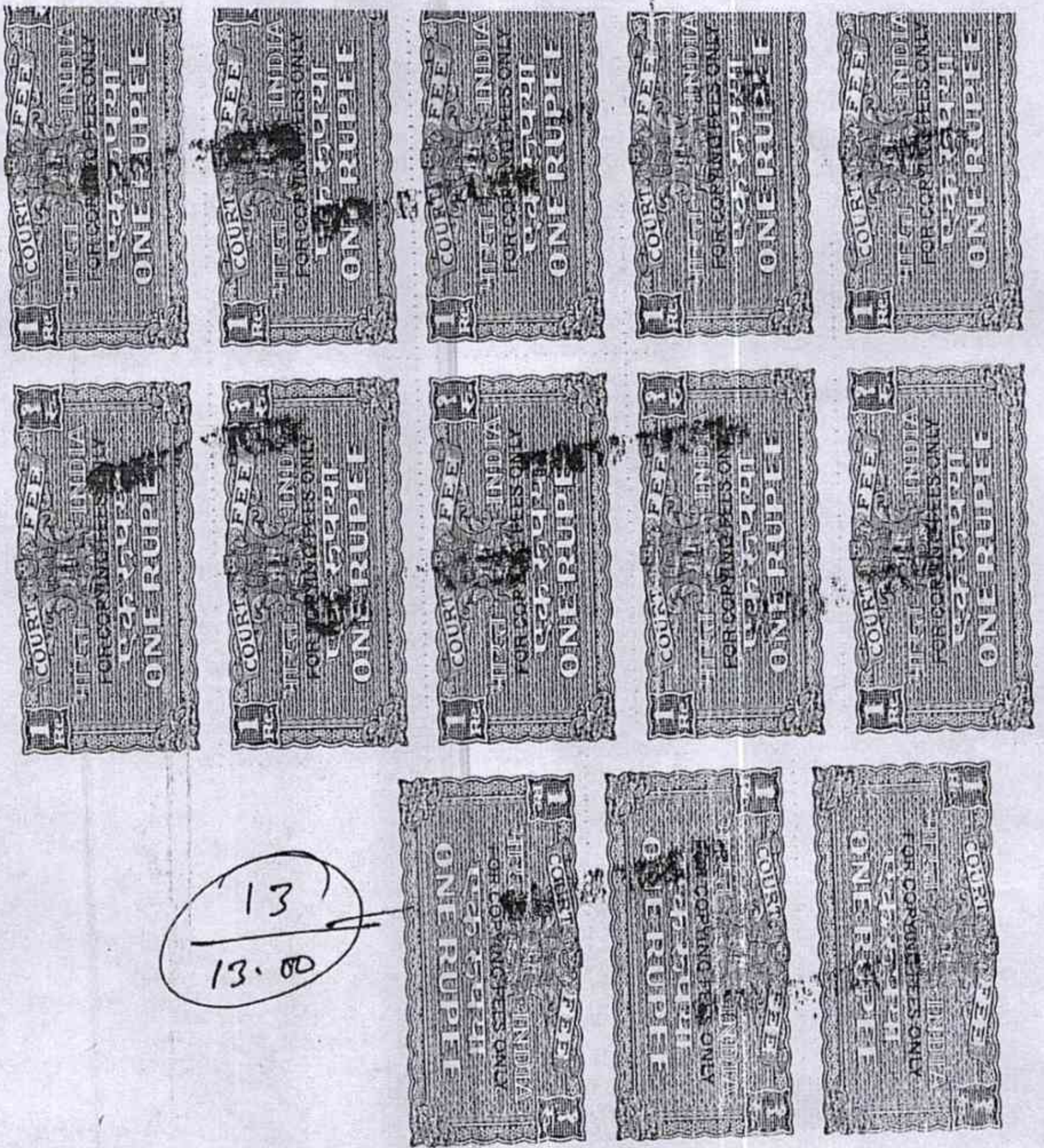
मोहनलालगंज

मोहनलालगंज

मोहनलालगंज

मोहनलालगंज

96
:-4-14



13
13.00

स्थाभालमंडलीजलाधिकारी श्रीदनलालगंज, लखनऊ
नवल आदेश दिनांक-15-2-14 वाद से-184/13-14
गुरुदीन आदि बनाम सरकार द्वारा-143 ज०वि०अ०
ग्राम-गौरा परगना वतहसील-श्रीदनलालगंज, लखनऊ

उभोगीपरान्त जोलिमो निरस्त किया जाता है
जोली कापी संलग्न।

न्यायालय असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी, मोहनलालगंज, लखनऊ।

वाद संख्या-184/13-14

गुरुदीन आदि बनाम सरकार

धारा-143 ज0वि0अधि0

ग्राम - गौरा

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही गुरुदीन, व्यस्क पुत्र रामसरन निवासी पूरेडल्ला, जगौली, रामसनेही घाट, जिला बाराबंकी के प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रारम्भ की गई। जिसमें अवगत कराया गया कि प्रार्थी के नाम भूमि गाटा संख्या- 1927/0.082हे0, 1943/0.057हे0, 2010/0.025हे0, 2133/0.060हे0, 1919/0.139हे0, 1941/0.126हे0, 1973/0.076हे0, 1976/0.076हे0, 1936/0.095हे0, 1956/0.076हे0, 1885/0.101हे0, 1923/0.253हे0, 1924/0.076हे0, 1940/0.051हे0, 1942/0.025हे0, 1891/0.114हे0 व 1892, 1957 में रकबा 0.4355 कुल रकबा 1.8675हे0 स्थित ग्राम गौरा परगना निगोहां तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ पर खेती नहीं हो रही है। प्रार्थी की उक्त भूमि पर कुक्कुट पालन, गत्स्य पालन, बागवानी के उपयोग में नहीं लाई जा रही है बल्कि अन्य उपयोगिता में लाई जा रही है। प्रार्थी द्वारा भूमि गाटा संख्या- 1927/0.082हे0, 1943/0.057हे0, 2010/0.025हे0, 2133/0.060हे0, 1919/0.139हे0, 1941/0.126हे0, 1973/0.076हे0, 1976/0.076हे0, 1936/0.095हे0, 1956/0.076हे0, 1885/0.101हे0, 1923/0.253हे0, 1924/0.076हे0, 1940/0.051हे0, 1942/0.025हे0, 1891/0.114हे0 व 1892, 1957 में रकबा 0.4355 कुल रकबा 1.8675हे0 स्थित ग्राम गौरा परगना निगोहां तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ को अकृषिक घोषित किए जाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर तहसीलदार मोहनलालगंज से प्राप्त आख्या दिनांक 03.08.2013 में अवगत कराया गया कि प्रश्नगत उल्लिखित गाटा संख्या संकमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। उक्त गाटा संख्या के प्रश्नगत भाग पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है प्लाटिंग हेतु प्रस्तावित है। भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित महायोजना के अन्तर्गत नोटिफाइड ग्राम की नहीं है। उक्त गाटा संख्या के रकबे सरकारी भूमि नहीं है। सीमा सम्बन्धी विवाद नहीं है। भूमि का कोई वाद नहीं है। आख्या में भूमि गाटा संख्या- 1927/0.082हे0, 1943/0.057हे0, 2010/0.025हे0, 2133/0.060हे0, 1919/0.139हे0, 1941/0.126हे0, 1973/0.076हे0, 1976/0.076हे0, 1936/0.095हे0, 1956/0.076हे0, 1885/0.101हे0, 1923/0.253हे0, 1924/0.076हे0, 1940/0.051हे0, 1942/0.025हे0, 1891/0.114हे0 व 1892, 1957 में रकबा 0.4355 कुल रकबा 1.8675हे0 स्थित ग्राम गौरा परगना निगोहां तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ को अकृषिक घोषित किए जाने हेतु आख्या प्रेषित की गई।

वाद दर्ज कर पत्रावली का अवलोकन व परिशीलन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्राप्त आख्या में अवगत कराया गया कि प्रश्नगत उल्लिखित गाटा संख्या संकमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। उक्त गाटा संख्या के प्रश्नगत भाग पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है प्लाटिंग हेतु प्रस्तावित है। अतः तहसीलदार मोहनलालगंज से प्राप्त आख्या के आधार पर भूमि गाटा संख्या- 1927/0.082हे0, 1943/0.057हे0, 2010/0.025हे0, 2133/0.060हे0, 1919/0.139हे0, 1941/0.126हे0, 1973/0.076हे0, 1976/0.076हे0, 1936/0.095हे0, 1956/0.076हे0, 1885/0.101हे0, 1923/0.253हे0, 1924/0.076हे0, 1940/0.051हे0, 1942/0.025हे0, 1891/0.114हे0 व 1892, 1957 में रकबा 0.4355 कुल रकबा 1.8675हे0 स्थित ग्राम गौरा परगना निगोहां तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ को अकृषिक घोषित किया जाना विधि संगत प्रतीत होता है।

आदेश

अतः तहसीलदार मोहनलालगंज की आख्या के आधार पर भूमि गाटा संख्या-1927/0.082हे0, 1943/0.057हे0, 2010/0.025हे0, 2133/0.060हे0, 1919/0.139हे0, 1941/0.126हे0, 1973/0.076हे0, 1976/0.076हे0, 1936/0.095हे0, 1956/0.076हे0, 1885/0.101हे0, 1923/0.253हे0, 1924/0.076हे0, 1940/0.051हे0, 1942/0.025हे0, 1891/0.114हे0 व 1892, 1957 में रकबा 0.4355 कुल रकबा 1.8675हे0 स्थित ग्राम गौरा परगना निगोहां तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ को मालगुजारी 60 रु से मुक्त करते हुए प्रश्नगत भूमि कृषि, गत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि से निम्न प्रयोजन में उपयोग किए जाने के कारण धारा-143ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत इस शर्त के साथ अकृषिक प्रख्यापित की जाती है कि यदि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि, गत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि कृषि से सम्बन्धित कार्य हेतु भूमि का उपयोग किया जाता है तो धारा-144ज0वि0 एवं भू0व्य0अधि0 के अन्तर्गत तत्काल तहसीलदार अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे। आदेश की प्रति तहसीलदार मोहनलालगंज एवं उपनिबन्धक मोहनलालगंज को वास्ते आवश्यक कार्यवाही प्रेषित हो। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संघित अभिलेखागार हो।

असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी, मोहनलालगंज,
लखनऊ।

दिनांक: 15.2.14

03-4-14

3-4-14

न-11 लखनऊ

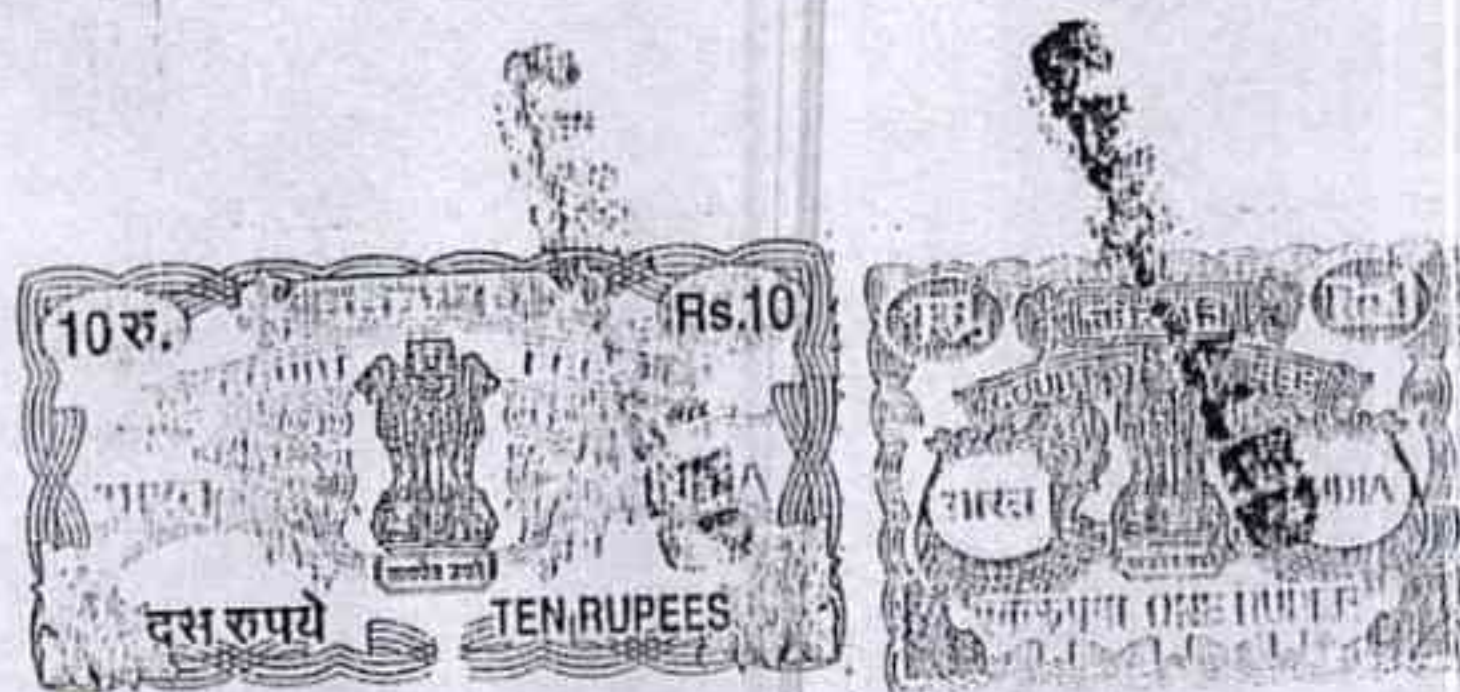
न-11 लखनऊ

मोहनलालगंज

मोहनलालगंज

मोहनलालगंज

9/10



2
11.00

444
26-10-15

न्यायालय अविज्ज्ञेय कलेक्टर उद्यम शीली, गौहपलाल
लखनऊ नयाल आदेश दि० ११-१०-१५ बाबत पाद सं०
११/१५-१६ जीरी शंकर आपि बनाम सरकार आठ
धारा-१५३ भा० क्रि० अ० ग्राह-गौवा

उद्योगोपरांत जौलियो निरस्त बिना जाता है-
जौटोकापी सलज्ज है।



न्यायालय असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी मोहनलालगंज, लखनऊ।

वाद संख्या-11 / 15-16

गौरी शंकर आदि बनाम सरकार

धारा-143 ज0वि0अधि0

ग्राम- गौरा

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही गौरी शंकर पुत्र पियारे व बाबूलाल पुत्र छगनाल निवासी गंज ग्राम गौरा परगना व तहसील मोहनलालगंज व गुरुदीन पुत्र रामसरन निवासी पूरे डल्ला जमौली रामसनेही घाट जिला वाराणसी व वेदान्त लैण्ड मार्क प्रा0लि0 कार्यालय 82 विद्यासागर मलाक रोड इबाहिमपुर निलमाथा लखनऊ द्वारा निदेशक ध्रुव कुमार शुक्ला पुत्र जी0पी0 शुक्ला व स्वशराज पुत्र संजय कुमार निवासी मंसुरगंज जिला पटना सिटी हाल पता 1001 भीना टावर विरतिखण्ड भोगती नगर, लखनऊ के प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रारम्भ की गई। जिसमें अवगत कराया गया कि वादी भूमि माटा संख्या 1974/0.025हे0 सम्पूर्ण, 1948/0.177हे0, 1953/0.089हे0, 1954/0.082हे0, 1955/0.038हे0, 2011/0.025हे0 कुल 5 किता रकबा 0.411हे0 का 1/2 रकबा 0.2055हे0, 1950/0.025हे0 सम्पूर्ण, 1951/0.228हे0 सम्पूर्ण, 1952/0.038हे0 सम्पूर्ण व माटा संख्या 1920/0.076हे0, 1921/0.076हे0, 1922/0.316हे0 कुल 3 किता रकबा 0.468हे0 का 3/5 भाग रकबा 0.2808हे0 व माटा संख्या 2025/0.012हे0 सम्पूर्ण, 1925/0.125हे0 सम्पूर्ण, 1913/0.266हे0 सम्पूर्ण, 1881/0.081हे0, 1883/0.291हे0, 1889/0.089हे0 कुल 3 किता रकबा 0.461हे0 का 1/2 भाग रकबा 0.2305हे0 व 1893/0.013हे0 सम्पूर्ण व 1958/0.145हे0 सम्पूर्ण व 1906/0.313हे0 सम्पूर्ण व 1912/0.013हे0 सम्पूर्ण व 1914/0.130हे0 सम्पूर्ण कुल रकबा 2.0498हे0 स्थित ग्राम गौरा परगना व तहसील मोहनलालगंज लखनऊ को अकृषिक घोषित किए जाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार मोहनलालगंज से आख्या प्राप्त की गई। तहसीलदार मोहनलालगंज द्वारा अपनी आख्या में अवगत कराया गया कि प्रश्नगत उल्लिखित माटा संख्या संक्रमणीय भू मिधर के रूप में दर्ज है। उक्त माटा संख्या के प्रश्नगत भाग पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। भू के पर भूमि खाली है। भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित महायोजना के अन्तर्गत नोटिफाइड ग्राम की नहीं है। माटा संख्या के रकबे सरकारी भूमि नहीं है। सीमा सम्बन्धी विवाद नहीं है। भूमि का कोई वाद नहीं है। आख्या में भूमि माटा संख्या 1974/0.025हे0 सम्पूर्ण, 1948/0.177हे0, 1953/0.089हे0, 1954/0.082हे0, 1955/0.038हे0, 2011/0.025हे0 कुल 5 किता रकबा 0.411हे0 का 1/2 रकबा 0.2055हे0, 1950/0.025हे0 सम्पूर्ण, 1951/0.228हे0 सम्पूर्ण, 1952/0.038हे0 सम्पूर्ण व माटा संख्या 1920/0.076हे0, 1921/0.076हे0, 1922/0.316हे0 कुल 3 किता रकबा 0.468हे0 का 3/5 भाग रकबा 0.2808हे0 व माटा संख्या 2025/0.012हे0 सम्पूर्ण, 1925/0.125हे0 सम्पूर्ण, 1913/0.266हे0 सम्पूर्ण, 1881/0.081हे0, 1883/0.291हे0, 1889/0.089हे0 कुल 3 किता रकबा 0.461हे0 का 1/2 भाग रकबा 0.2305हे0 व 1893/0.013हे0 सम्पूर्ण व 1958/0.145हे0 सम्पूर्ण व 1906/0.313हे0 सम्पूर्ण व 1912/0.013हे0 सम्पूर्ण व 1914/0.130हे0 सम्पूर्ण कुल रकबा 2.0498हे0 स्थित ग्राम गौरा परगना व तहसील मोहनलालगंज लखनऊ को अकृषिक घोषित किए जाने हेतु आख्या प्रेषित की गई।

वाद दर्ज कर पक्षा को नोटिस निगल की गई। पत्रावली को अवलोकन व परिशीलन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्राप्त आख्या में अवगत कराया गया कि प्रश्नगत उल्लिखित माटा संख्या संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। भू के पर भूमि खाली है। अब तहसीलदार मोहनलालगंज से प्राप्त आख्या के आधार पर वादीय भूमि माटा संख्या 1974/0.025हे0 सम्पूर्ण, 1948/0.177हे0, 1953/0.089हे0, 1954/0.082हे0, 1955/0.038हे0, 2011/0.025हे0 कुल 5 किता रकबा 0.411हे0 का 1/2 रकबा 0.2055हे0, 1950/0.025हे0 सम्पूर्ण, 1951/0.228हे0 सम्पूर्ण, 1952/0.038हे0 सम्पूर्ण व माटा संख्या 1920/0.

444
26/10/15



076हे०, 1921/0.076हे०, 1922/0.316हे० कुल 3 किता रकबा 0.468हे० का 3/5 भाग रकबा 0.2808हे० व गाटा संख्या 2025/0.012हे० सम्पूर्ण, 1925/0.12हे० सम्पूर्ण, 1913/0.266हे० सम्पूर्ण, 1881/0.081हे०, 1883/0.291हे०, 1889/0.089हे० कुल 3 किता रकबा 0.461हे० का 1/2 भाग रकबा 0.2305हे० व 1893/0.013हे० सम्पूर्ण व 1958/0.145हे० सम्पूर्ण व 1906/0.313हे० सम्पूर्ण व 1912/0.013हे० सम्पूर्ण व 1914/0.90हे० सम्पूर्ण कुल रकबा 2.0498हे० स्थित ग्राम गौरा परगना व तहसील मोहनलालगंज लखनऊ को अकृषिक घोषित किया जाना विधि संगत प्रतीत होता है।

आदेश

अतः भूमि गाटा संख्या 1974/0.025हे० सम्पूर्ण, 1948/0.177हे०, 1953/0.089हे०, 1954/0.082हे०, 1955/0.038हे०, 2011/0.025हे० कुल 5 किता रकबा 0.411हे० का 1/2 रकबा 0.2055हे०, 1950/0.025हे० सम्पूर्ण, 1951/0.228हे० सम्पूर्ण, 1952/0.038हे० सम्पूर्ण व गाटा संख्या 1920/0.076हे०, 1921/0.076हे०, 1922/0.316हे० कुल 3 किता रकबा 0.468हे० का 3/5 भाग रकबा 0.2808हे० व गाटा संख्या 2025/0.012हे० सम्पूर्ण, 1925/0.125हे० सम्पूर्ण, 1913/0.266हे० सम्पूर्ण, 1881/0.081हे०, 1883/0.291हे०, 1889/0.089हे० कुल 3 किता रकबा 0.461हे० का 1/2 भाग रकबा 0.2305हे० व 1893/0.013हे० सम्पूर्ण व 1958/0.145हे० सम्पूर्ण व 1906/0.313हे० सम्पूर्ण व 1912/0.013हे० सम्पूर्ण व 1914/0.130हे० सम्पूर्ण कुल रकबा 2.0498हे० स्थित ग्राम गौरा परगना व तहसील मोहनलालगंज लखनऊ को मालगुजारी 60 ख से मुक्त करते हुए प्रशसित भूमि कृषि, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि से गिन्ना प्रयोजन करने हेतु उपयोग किए जाने के कारण धारा-143ज०वि०अधि० के अन्तर्गत इस शर्त के साथ अकृषिक प्रख्यापित की जाती है कि यदि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि कृषि से सम्बन्धित कार्य हेतु भूमि का उपयोग किया जाता है तो धारा-144ज०वि० एवं गू०व्य०अधि० के अन्तर्गत तत्काल तहसीलदार अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे। लेखपाल की अध्यक्षता में आख्या मय नजरी नमूना आदेश का अंग रहेगी। तहसीलदार मोहनलालगंज को आदेश की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त वर्जित खाते/गाटे के सम्बन्ध में एक नमूना नजरी तैयार करके अगिलेखों के साथ रखवाये जिसमें उन गाटों की जी कृषि, बागवानी या पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य पालन एवं कुक्कुट पालन के प्रयोजनों के लिए काम में नहीं लाये जा रहे हैं, अलग-अलग रंगों में दर्शाये। खाते में प्रत्येक भाग के लिए दिये मालगुजारी का भी विभाजन किया जाये कि वर्तमान में गाटों की नकशों और भूमि के भूतत्त्विक उपयोग के आधार पर उक्त प्रख्यापित भाग की हदबन्दी कराये। हदबन्दी का शर्त अविवेक संकल्पनीय भूमिधर से नियत मद में जमा कोष करवाये। बाद आवश्यक कार्यवाही प्रभावहीन संचित अगिलेखांगर हो।

२६-१०-१५

असिस्टेंट कलेक्टर प्रभु श्री मोहनलालगंज, लखनऊ

प्रमाणित करने की तिथि २६-१०-१५
प्रमाणित करने की तिथि २६-१०-१५
प्रमाणित करने की तिथि २६-१०-१५
प्रमाणित करने की तिथि २६-१०-१५

प्रमाणित करने की तिथि २६-१०-१५
प्रमाणित करने की तिथि २६-१०-१५
प्रमाणित करने की तिथि २६-१०-१५

प्रमाणित करने की तिथि २६-१०-१५

प्रमाणित करने की तिथि २६-१०-१५
प्रमाणित करने की तिथि २६-१०-१५
प्रमाणित करने की तिथि २६-१०-१५

